

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1.	पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना	पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 कि०वा० से 03 कि०वा० तक की श्रेणी वाले संयंत्रों हेतु रू० 17000.00 प्रति कि०वा० की दर से एवं 03 कि०वा० से अधिक क्षमता के संयंत्रों हेतु रू० 51000.00 नियत लाभ अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू०पी०सी०एल० द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। योजनान्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि रू० 85,800.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेन्शियल वेलफैर एसोशिएशन हेतु 500/KW क्षमता तक रू० 18,000/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।	राज्य योजना हेतु सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा संचालित “पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना” के अन्तर्गत एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://pm.suryaghar.gov.in पर आवेदन किया गया हो एवं जिनके संयंत्र स्थापना दिनांक 19 जून 2023 के उपरान्त की गयी हो तथा संयंत्र की स्थापना उपरान्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।	एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा संचालित “ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉफ सोलर पावर प्लान्ट योजना” के अन्तर्गत यू०पी०सी०एल० के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा योजना के अन्तर्गत संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इस योजना हेतु एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल पर https://pm.suryaghar.gov.in पर online आवेदन किये जा सकते हैं। एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किये जायेंगे। जनपदीय अधिकारी उरेडा उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
2.	सोलर वाटर हीटर योजना	1.सोलर वाटर हीटर योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु पीक आवर्स में डिस्कॉम द्वारा मंहगी दरों पर विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति	इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के निवासी जिनके पास यू०पी०सी०एल० का	1.योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन हेतु Online portal www.uredaonline.uk.gov.in विकसित किया गया है। 2.आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाईल नम्बर,

	की जाती है। जिसका सीधा प्रभाव विद्युत उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। सोलर वाटर हीटर की स्थापना से न केवल विद्युत उपभोक्ताओं की ग्रिड विद्युत पर निर्भरता कम होगी, इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना भारत सरकार के वैश्विक स्तर पर एस.डी.जी.-7 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गयी प्रतिबद्धता में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 2. प्रदेश में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 3.सोलर वाटर हीटर स्थापना में वृद्धि होने से अधिकतम मांग के समय विद्युत की बचत होगी एवं प्रति वर्ष कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। 100ली0 प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापना पर 1.5 टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन कम होने पर पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। 4.उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः गर्म पानी की आवश्यकता होती है एवं इस हेतु लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता है, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। सोलर वाटर हीटर संयंत्रों के उपयोग से पूर्व में प्रचलित माध्यम (लकड़ी, विद्युत आदि) से प्रकृति हो रहे नुकसान में कमी आयेगी।	विद्युत कनेक्शन होगा तथा सम्बन्धित भवन का स्वामित्व होगा, वही आवेदन हेतु पात्र होंगे।	स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, स्थापित संयंत्र के बिल की प्रति, निर्धारित स्व-घोषणा पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाईन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर पंजीकरण करायेगें। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदनकर्ता की श्रेणी सामान्य/ अनु0जाति/अनु0जनजाति का भी चयन करें। पंजीकरण के समय स्थापित संयंत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा। 3.पोर्टल पर विद्युत बिल के आधार पर घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता का विकल्प भी दर्ज करना होगा। प्रति 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता हेतु रू0 100/- आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाईन पोर्टल में किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। 4.पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर धनराशि उपलब्धता सीमा के अन्तर्गत उरेडा द्वारा सत्पापन करने के उपरान्त स्थापना उचित पाये जाने पर अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयंत्र स्थापना होने पर पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करने के उपरान्त उरेडा द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। 5.आवेदन शुल्क उरेडा के खाते में प्राप्त होने पर तथा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते हुए संयंत्र की स्थापना संतोषजनक होने पर अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु उरेडा मुख्यालय को संस्तुति (संयुक्त निरीक्षण आख्या upload करते हुये) की जायेगी। स्थल पर कमी पाये जाने पर आवेदक से अपेक्षित कार्यवाही का प्रपत्र अपलोड करते हुए आवेदक
--	---	--	---

				को स्थल निरीक्षण अनुरोध वापस करना होगा। स्वीकृत आवेदक द्वारा कमियां पूर्ण करवाते हुए पोर्टल पर पुनः निरीक्षण का अनुरोध करना होगा। उरेडा द्वारा निरीक्षण के समय उचित पाये जाने पर ही सम्बन्धित स्थापनाकर्ता फर्म को अन्तिम भुगतान किया जाना आवेदक/लाभार्थी के हित में होगा। 6. संयंत्र के सापेक्ष अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी उरेडा से प्राप्त होने पर उरेडा मुख्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित के खाते में online transfer किया जायेगा, संयंत्र स्थापनाकर्ता फर्म को लाभार्थी/स्वीकृत आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसमें उरेडा की कोई भूमिका नहीं होगी तथा दोनों के मध्य भुगतान सम्बन्धित विवाद में उरेडा कोई पक्षधर नहीं होगा। 7. योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध न होने/उपलब्ध बजट से अधिक आवेदन होने पर अतिरिक्त आवेदन के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से आवेदक को राज्य अनुदान निर्गत किया जाना सम्भव न होने पर ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।
--	--	--	--	--

PROGRAMME IV

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग



PROC

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ०वि०नि०आ०) के कार्य एवं दायित्व

कार्यवृत्त	कार्य एवं दायित्वों का विवरण
शुल्क अवधारण	निम्नलिखित हेतु शुल्क (टैरिफ) का अवधारण— - वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति। - विद्युत का पारेषण। - विद्युत का चक्रण। - विद्युत का खुदरा विक्रय। वितरण अनुज्ञापियों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें, वह मूल्य भी सम्मिलित है, जिस पर राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति हेतु ऊर्जा के क्रय के लिये करार द्वारा उत्पादक कम्पनियों या अनुज्ञापियों या अन्य स्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति की जायेगी।
अनुज्ञापन (लाईसेंस प्रदान करना)	अनुज्ञापितियाँ जारी करना :— - पारेषण अनुज्ञापी के रूप में विद्युत के पारेषण हेतु। - वितरण अनुज्ञापी के रूप में विद्युत के वितरण हेतु। - विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत के व्यापार हेतु।
न्याय निर्णयन	अनुज्ञापियों और उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय।
विनियमों की संरचना एवं प्रवर्तन	- विद्युत का राज्य के भीतर पारेषण और चक्रण सुगम बनाना। - विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से सह-उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना। - विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के क्रय को विनिर्दिष्ट करना। - इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शुल्क का दंड का उद्ग्रहण करना। - अनुज्ञापियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में संहिताएं और मानक विनिर्दिष्ट करना।
सलाहकारी कार्य	निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना:— - विद्युत उद्योग के कार्यकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ावा देना। - विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना। - राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्धिष्ठापन एवं पुनर्गठन। - विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से सम्बन्धित मामले या सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य मामले।

उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सुविधाओं में सुधार लाने पर बल देने का निर्णय लिया है :-

- गुणवत्ता (उचित वोल्टेज) और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति।
- 100% उपभोक्ता की इलेक्ट्रॉनिक मीटर द्वारा मीटरिंग।
- सही मीटरों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति।
- नियमित मीटर रीडिंग और बिल वितरण।
- स्पोर्ट बिलिंग।
- अस्थायी बिलिंग वाले मामलों जैसे मीटर तक पहुँच नहीं (NA)/मीटर पढ़ा नहीं गया (NR)/त्रुटि पूर्ण मीटर (IDF) इत्यादि को क्रमवार समाप्त/न्यूनतम करना।
- पर्याप्त प्रचार अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में विद्युत से सम्बन्धित नियमों/विनियमों की जागरूकता फैलाना एवं सशक्तिकरण।
- उपभोक्ताओं को बिल प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के भीतर डिजिटल माध्यम से भुगतान किये जाने पर बिल धनराशि में 1.25 प्रतिशत छूट की सुविधा तथा नकद/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने पर 0.75 प्रतिशत छूट प्रदानित।
- पूरे राज्य में प्रभावी बिल संग्रहण प्रणाली हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ सुदृढ़/विकसित करना।

शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
UPCL के बिल संग्रहण केन्द्रों से	सब-स्टेशन पर संग्रहण केन्द्र
चैक ड्रॉप बॉक्स (चैक संग्रहण बॉक्स) से	सामान्य सेवा केन्द्र योजना (CSC) के माध्यम से
बैंकों के माध्यम से	बिल संग्रहण शिविरों के माध्यम से
ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से	ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से

(A) नये एल0टी0 संयोजन जारी करने, भार में वृद्धि और कमी करने के लिये लागू अधिसूचित प्रभार

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज			प्रारम्भिक प्रतिभूति(रू./कि.वा.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	बीपीएल उपभोक्ता (1 कि.वा.तक)*	100	100	ओवर हैड - रू. 300 भूमिगत - रू. 300	100	.	.
2.	4 कि.वा. तक	1000	2000	ओवर हैड -रू. 1500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. तक (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	1000	2000		-	-	-

यदि कोई बीपीएल उपभोक्ता 1 किलोवाट से अधिक भार के लिए आवेदन करता है, तो वह तालिका 3.4 तथा तालिका 3.5 के क्रम संख्या-2 के अनुसार जो भी लागू हो, मानक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4 kW से अधिक तथा 25 kW तक भार हेतु सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार और प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्ज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्ज		प्रारंभिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.)			
		सर्विस लाईन प्रभार (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्ज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल. टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक #	2000	5000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक # (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	2000	5000		.	.	.
2.	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक #	4000	10000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर	600	1500	1500
	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक # (प्रीपेड मीटर के	4000	10000		-	-	-

माध्यम से)#			या उसका भाग			
-------------	--	--	-------------	--	--	--

#उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप-विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के अन्तर्गत एच.वी.डी.एस. संयोजन लेने वाले आवेदक को 25 के.वी.ए. के सब-स्टेशन (20 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 1,50,000/- तथा 63 के.वी.ए. (21 किलोवाट से 25 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 2,00,000/- साथ ही 11 के.वी. लाईन विस्तार हेतु लागत निम्नलिखित तालिका 3.6 के अनुसार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जज तालिका 3.5 के अनुसार, भुगतान करना होगा।

25 kW से अधिक तथा 75 kW तक के भार हेतु सर्विस चार्जज 11 kV ओवरहेड/भूमिगत लाईन, सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जज एवं 11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जज			प्रारंभिक प्रतिभूति (रु./कि.वा.) या (रु./के.वी.ए.)		
		सर्विस लाईन चार्जज (रु.)		11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जज (रु.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1	11 के.वी. लाईन चार्जज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक **	6000	15000	ओवर हैड-0 रु. 8000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत- रु. 30000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक **	8000	20000				
2	11 के.वी. सबस्टेशन चार्जज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक	63 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,00,000	-		
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक	100 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,50,000			
3	ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि						
	63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तक	-		50,000	-		

** केवल भूमिगत नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप-विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के प्रथम नियम के अन्तर्गत संयोजन चाहने वाले आवेदक, 63 के.वी.ए./100 के.वी.ए. के

उप-स्टेशन के लिए तालिका 3.6 के अनुसार प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिए एल.टी. मेन के विस्तार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्ज के साथ रु. 20,000/- का भुगतान करेंगे।

5 बी.एच.पी. तथा 20 बी.एच.पी. तक के भार वाले निजी नलकूपों (PTW) के लिए सर्विस लाईन चार्ज, ओवरहेड लाईन चार्ज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	संविदाकृत भार	सर्विस लाईन चार्ज (रु.)	विद्यमान एल.टी. वितरण मेन तथा / एच.टी.मेन के विस्तार के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना का प्रभार (रु.)	प्रारंभिक प्रतिभूति (रु./बी.एच.पी.)
1	5 बी.एच.पी. से 20 बी.एच.पी.	1000	रु. 750 प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिये	200

(B) उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं के लिये अधिसूचित सेवा मानक:

क्रम सं०	सेवा क्षेत्र	उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 में मानक	मानक के उल्लंघन होने पर भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति के मामले में देय प्रतिपूर्ति (व्यतिक्रम, उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के समय से माना जाएगा)	यदि घटना से एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति
1. नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी				
(1)	नए एलटी संयोजनों को जारी करना	एलटी संयोजनों के लिए • 15 दिन के भीतर – जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स बिछाने या नये सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता नहीं है। - जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स को बिछाने या नए सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता है:- • 60 दिन के भीतर – वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है • 90 दिन के भीतर – नये 11/0.4 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है • 180 दिन के भीतर – नये 33/11 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता को जमा धनराशि प्रति रु0 1000/- पर रु0 5/- प्रत्येक दिन के लिए (जोकि अधिकतम रु0 500/- तक होगी) देय होगी। (प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी)	लागू नहीं

(2)	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना	नए एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए 1) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता न हो। • 60 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाइन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर से संलग्न न होने वाली लाइनें सम्मिलित हैं। • 90 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाइन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर हों। • 180 दिन के भीतर – 33 केवी कार्य लाइन सहित। • 300 दिन के भीतर – 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाइन सहित। 2) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता हो वहां नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा होगी: • 180 दिन के भीतर – नया 33/11 केवी सबस्टेशन। • 120 दिन के भीतर – विद्यमान 33/11 केवी सबस्टेशन का विस्तार। • 45 दिन के भीतर – 33/11 केवी सबस्टेशन पर बे का विस्तार। • 540 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन। • 90 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन पर बे का विस्तार।	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम ₹0 500/- (प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी)	लागू नहीं
(3)	भार में वृद्धि/कमी	जहां लाईन्स/सबस्टेशन कार्य में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है: 15 दिन के भीतर – एलटी संयोजनों के लिए। 30 दिन के भीतर – एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए।	अधिकतम ₹0 50000/- की सीमा के अधीन व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिवस हेतु ₹0 50/-	लागू नहीं

		जहां लाईन्स/सबस्टेशन्स कार्य में परिवर्तन की आवश्यकता है वहां समय-सीमा ऊपर दी गयी सारिणी की क्रम सं0 1) व 2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।		
2. ऊर्जा आपूर्ति की बहाली				
(1)	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/ एससीसीबी ट्रिप्ड (यदि फ्यूज या एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी के हैं)	• 4 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 8 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(2)	सर्विस लाईन का टूटना/सर्विस लाईन का खंभे से निकलना	• 6 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से जुड़े न हों।	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(3)	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष	दोष का सुधार और तत्पश्चात् सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली: • 12 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(4)	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना	विफल प्रवर्तक को बदलने हेतु: • 24 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े हों। • 72 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े न हों।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(5)	फ्यूज उड़ने, लाईन टूटने या किसी अन्य दोष के कारण एचटी 11 केवी व 33 केवी मेन्स विफल	दोष का निवारण:- • 12 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र,	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-

	होना	• 36 घंटे के भीतर – (फ्यूज उड़ने के मामलों को छोड़कर, जहां समय सीमा 24 घंटे होगी) ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।		
(6)	33/11 केवी सबस्टेशन में समस्या	मरम्मत और ऊर्जा की बहाली: • 24 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – पर्वतीय क्षेत्रों में।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 10/-
(7)	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना	10 दिन के भीतर – सही करना पूरा हो जाए	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 1000/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 300/-
(8)	भूमिगत प्रणाली (अंडरग्राउण्ड) में दोष	• 12 घंटे के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए। • 48 घंटे के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 10/-
3. ऊर्जा आपूर्ति हेतु गुणवत्ता वोल्टेज का विचरण				
(1)	स्थानीय समस्या (वोल्टेज विचलन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फिलकरिंग या कोई अन्य समस्या)	4 घंटे के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 5/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए ₹0 2/-
(2)	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन	3 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 50/-
(3)	वितरण लाईन/प्रवर्तक/कैपेसिटर की मरम्मत	• 15 दिन के भीतर – एलटी वितरण लाईन। • 90 दिन के भीतर – एचटी वितरण लाईन। • 30 दिन के भीतर – वितरण प्रवर्तक। • 120 दिन के भीतर – ऊर्जा प्रवर्तक। • 30 दिन के भीतर – कैपेसिटर।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-
(4)	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चिकरण	• 90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए। • 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-

(5)	वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति (यदि	दोषपूर्ण भाग को तुरन्त पृथक करना	प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 1000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सी, ग्राइंडर, टोस्टर, अन्य पोर्टेबल विद्युतीय उपकरण के लिए।
	निकट पड़ोस में एक से अधिक उपभोक्ता के उपकरण प्रभावित हुए हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 72 घंटे के भीतर क्षतिपूर्ण उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात् मरम्मत* पर हुए व्यय के संबंध में प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमा कर दिया जाता है और इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है।)		प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 3000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच तक का कलर टीवी, सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी के लिए।
	* किसी क्षतिग्रस्त उपकरण के बदले नये उपकरण का प्रतिस्थापन/ विनिमय किये जाने के मामले में क्षतिपूर्ति, मूल बिल प्रस्तुत करने और उसका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा		प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 5000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, पूरी तरह ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक का फ्रिज।

	सत्यापन कराये जाने की शर्त उल्लेखित है, जोकि उक्त उपकरण हेतु अनुमोदित अधिकतम मरम्मत व्यय तक सीमित रहेगी।			
4. मीटर से संबंधित शिकायतें				
(1)	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 50/-	लागू नहीं।
(2)	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	लागू नहीं।
(3)	जले हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 06 घंटे के भीतर – जले हुए मीटर को बाईपास करते हुए आपूर्ति की बहाली। • 03 दिन के भीतर – नया मीटर संस्थापित किया जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	लागू नहीं।
5. उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन				
(1)	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	लागू नहीं।
(2)	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अन्तरण	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	लागू नहीं।
(3)	श्रेणी का परिवर्तन	05 दिन के भीतर – परिसर का निरीक्षण। 02 माह के भीतर – श्रेणी का परिवर्तन	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ₹0 100/-	लागू नहीं।

6- उपभोक्ता के बिल के संबंध में शिकायत				
(1)	पहला बिल	संयोजन जारी होने के 02 माह के भीतर	प्रति माह अधिकतम ₹0 500/- की सीमा के साथ, बिल की गयी राशि का 10 प्रतिशत।	लागू नहीं।
(2)	बिलिंग की शिकायतें	(शिकायत की पावती • तुरन्त – हस्ती प्राप्त शिकायतों के लिए • 3 दिन के भीतर – डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए) शिकायतों का समाधान और उपभोक्ता को सूचना • 15 दिन के भीतर – यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो • 30 दिन के भीतर – यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो।	बिल की गयी राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत या ₹0 500/- दोनों में से जो कम हो की सीमा के साथ व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु ₹0 20/-	लागू नहीं।
(3)	परिसर खाली करने/ कब्जे के परिवर्तन हेतु अंतिम बिल	(परिक्षेत्र खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 07 दिन पहले उपभोक्ता द्वारा विशेष रीडिंग हेतु निवेदन किया जाएगा) अंतिम बिल की डिलीवरी, पिछला बकाया सहित, यदि कोई हो- विशेष रीडिंग की व्यवस्था करने के पश्चात् परिक्षेत्र खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 03 दिन पहले	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु ₹0 20/-	लागू नहीं।
(4)	उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिलिंग	(स्थायी विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कोई बिल जारी नहीं करेगा) यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिल जारी करता है तो वह प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।	प्रत्येक मामले के लिए ₹0 500/-	लागू नहीं।

(5)	बिल में दर्शाए जा रहे पिछले बकाया/त्रुटिपूर्ण रूप से जारी किये गये बिल	अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि हेतु बकाया जारी नहीं करेगा जिसका उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है।	पहली बार के लिए – अधिकतम ₹0 500/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 10 प्रतिशत (पहली बार के लिए प्रतिपूर्ति की गणना अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग पोर्टल से डाउनलोड किये गये बिलों पर आधारित होगा) दूसरी बार के लिए – अधिकतम ₹0 1000/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 15 प्रतिशत तीसरे और इससे आगे के समयों के लिए – अधिकतम ₹0 2000/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 20 प्रतिशत	लागू नहीं।
7. आपूर्ति के विच्छेदन/पुनः संयोजन से संबंधित मामले				
(1)	पुनः संयोजन हेतु निवेदन	पिछले देयों और पुनःसंयोजन प्रभारों के भुगतान के 5 दिन के भीतर – (यदि उपभोक्ता संयोजन के विच्छेदन के पश्चात् छः माह की अवधि के भीतर या स्थायी विच्छेदन दोनों में से जो बाद में हो, से पूर्व पुनः संयोजन हेतु आवेदन करता है। तथापि यदि उपभोक्ता विच्छेदन के छः माह की अवधि के पश्चात् या स्थायी विच्छेदन के पश्चात् पुनः संयोजन, दोनों में से जो बाद में हो, हेतु आवेदन करता है, तो संयोजनों का पुनः संयोजन तभी किया जाएगा जब उपभोक्ता नए संयोजन जारी किये जाने के मामले में अपेक्षित सभी औपचारिकताएं तथा उस श्रेणी हेतु लागू देय, इत्यादि के भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर लेगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु ₹0 100/-	लागू नहीं।
(2)	विच्छेदन उपभोक्ता की इच्छा पर	स्थायी विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के 7 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु ₹0 100/-	लागू नहीं।

(3)	स्मायोजन के पश्चात् जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना (उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु)	स्थायी विच्छेदन के 30 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु0 100/-	लागू नहीं।
8. उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारित अन्य सेवाएं				
(1)	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तक का स्थान परिवर्तन	90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली हेतु 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली हेतु नोट:- विनिर्दिष्ट समय सीमा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंकलित आवश्यक राशि जमा करने या सुसंगत प्राधिकारी से एनओसी, यदि कोई है, प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से प्रारंभ होगी। यदि कार्य निष्पादन के दौरान आरओडब्ल्यू के मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो आरओडब्ल्यू के कारण हुए विलम्ब पर छूट प्रदान की जाएगी।	एलटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु0 100/- एचटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु0 200/-	लागू नहीं।

विद्युत मामलों में उपभोक्ता शिकायतों के लिये निवारण मंच :

“शिकायत” की अधिसूचित परिभाषा के अनुसार यह विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित हैं और ऐसे मामले जहां अनुज्ञापी ने आयोग द्वारा तय की गई कीमतों से अधिक कीमत प्रभारित की है या विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से अधिक व्यय प्रभार वसूल किये हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच के समक्ष दाखिल किया गया पत्र या आवेदन है। निम्न वर्णित विषय में से जो कि अधिनियम की धाराओं में है, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की परिधि में नहीं है :-

- अधिनियम की धारा 126 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग;
- अधिनियम की धारा 135 से 139 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार अपराध और दण्ड;
- अधिनियम की धारा 161 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत के वितरण, आपूर्ति या उपयोग में दुर्घटना; और
- जहां बिल की राशि में कोई विवाद नहीं है वहां बकायों की वसूली;

आयोग द्वारा राज्य में गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों (CGRFs) के कार्यालयों का पता निम्नलिखित है:-

जोन	पता	दूरभाष सं०	आच्छादित विद्युत वितरण सर्किल
गढ़वाल जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड, देहरादून	दूरभाष – 0135-2763672 से 2763675 (एक्सटेंशन-257) +91-9411113708, 8433166879	देहरादून (ग्रामीण) देहरादून (शहरी)
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर, गढ़वाल, पिन-246174	दूरभाष – 01346-252137, +91-9012783369 Email: Cgrfsrinagar@gmail.com	श्रीनगर
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तरकाशी/टिहरी) उत्तरकाशी, पिन-249193	दूरभाष – +91-8534936955, 8171333308 Email: Cgrfuki@gmail.com	उत्तरकाशी
	कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (कर्णप्रयाग) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण मण्डल, कर्णप्रयाग, निकट-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58, गौचर (भट्ट नगर) जिला चमोली-246429	दूरभाष: +91-7060214681, 9756838527	कर्णप्रयाग
कुमाऊँ जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, 132 के० वी० उपसंस्थान परिसर, पोस्ट ऑफिस – काठगोदाम, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	दूरभाष – 05946-266223, +91-9897797665, 9410975365 Email: cgrf.kumaoun@gmail.com	हल्द्वानी, काशीपुर
	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, निकट विकास भवन, स्यालीधार, अल्मोड़ा।	दूरभाष: +91-9412175301, 6397031735	रानीखेत
हरिद्वार जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, हिल बाई पास रोड, हरिद्वार, पिन-249401	दूरभाष – 01334-265368 Email: cgrf.haridwar@gmail.com	हरिद्वार, रुड़की
रुधमसिंह नगर जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, एमआईजी-151, वार्ड नम्बर-19, आवास विकास कालोनी, रुद्रपुर पिन-263153	दूरभाष – 05944-240503, +91-9412076200, 9927396818 Email: cgrf.rudrapur@gmail.com	रुद्रपुर

	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 132 के0 वी0 उपसंस्थान परिसर, भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़, पिन-262501	दूरभाष – 05964-297743, +91-7906829422, 9412947287 Email: cgfrfpithoragarh@gmail.com	पिथौरागढ़
--	--	--	-----------

यदि उपभोक्ता मंच के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो, वह ओम्बड्समैन के समक्ष याचिका दर्ज कर सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यालय	पता	दूरभाष संख्या
ओम्बड्समैन (विद्युत)	80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून	0135-2762120

(C) यू0पी0सी0एल0 के विभिन्न मीटरिंग/बिलिंग मानदण्डों की प्रास्थिति

- यू0पी0सी0एल0 के उपभोक्ताओं की कुल संख्या :- 27,50,872 (मार्च 2022 तक)

क्र0सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या
1	घरेलू	23,94,641
2	अघरेलू	2,89,867
3	गवर्नमेंट पब्लिक युटिलिटीज	7,083
4	निजी नलकूप/पम्पिंग स्टेट्स	42,718
5	उद्योग	16,473
6	अन्य	90

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में प्रबन्धित विद्युत, निर्धारण और संग्रहण

क्र0सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	इनपुट ऊर्जा	14,581.68 MUs
2	विक्रय की गयी ऊर्जा	12,518.80 MUs
3	निर्धारण	₹ 7,83,8.63 करोड़
4	संग्रहण	₹ 7,69,2.59 करोड़
5	वितरण हानियां	14.15 %
6	संग्रहण दक्षता	98.14 %
7	AT&C हानियां	15.75 %

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



PROC

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	फिल्मों को अनुदान (संशोधित)	उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है:- 1. क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोली में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या रु. 2 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 2. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या रु. 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 3. विदेशी भाषा में बनने वाली फिल्मों को जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो। राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 3 करोड़ तक जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 4. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाले टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान।	फिल्म निर्माता	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चों, अनुबन्ध, बीजक तथा अन्य अभिलेख इत्यादि विभाग में जमा कराने होते हैं। फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा० मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में सम्पर्क करना होगा)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड



PRO

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (संशोधित) (Percentage of youth trained and certified in short term and long term training schemes out of total number of youth in the block (of age group 15-35 year)	ग्रामीण गरीब युवाओं को अंग्रेजी, सॉफ्ट स्किल्स और कम्प्यूटर के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म एवं किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं	- ग्रामीण युवा जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष तक हो। - महिलाओं, कमजोर जनजातीय समूह, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है। - बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार अथवा पी0आई0पी0 के माध्यम से चिन्हित परिवार। - मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। - अन्त्योदया अन्न योजना के बी0पी0एल पी0डी0एस0 कार्ड धारक परिवार। - एन0आर0एल0एम0 स्वयं सहायता समूह के परिवार। - एस0सी0सी0सी0-2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक लाभार्थी www.kaushalpanjee.nic.in में जाकर candidate registration अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है। विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से संबंधित आवेदक को प्रशिक्षण कहां पर आयोजित कराया जा रहा है, की सूचना उपलब्ध कराते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवा राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, वही संस्था अभ्यर्थी को राजेगार मुहैया कराती है।

2.	लखपति दीदी योजना	देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विगत वर्ष में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ का किया गया है। योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए उन्हें लखपति बनाया जाना है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक 1.50 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2022-23 में 40,270 तथा वर्ष 2023-24 में वर्तमान तक 52729 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग कर उत्पादों को विक्रय किए जाने हेतु उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 17 सरस सेंटर, 2 राज्य स्तरीय उत्तरा आउटलेट, 24 ग्रोथ सेंटर, 7 मिलेट बेकरी की स्थापना की गई है तथा विभिन्न सरस मेलों में भी समूहों के उत्पादों को विक्रय किया जाता है जिससे उनकी आय में वृद्धि करते हुए आजीविका को बढ़ाया जाता है।	लखपति दीदी योजना की पात्रता के लिए महिलाओं का किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वो लखपति दीदी योजना का लाभ ले सकती हैं।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं जिनके द्वारा विभिन्न आयोपार्जक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हो। विकासखंड स्तर पर ऐसी महिला समूह सदस्यों का चयन किया जाता है जिनकी प्रति वर्ष आय ₹0 1.00 लाख से कम हो। लखपति दीदी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला मिशन प्रबंधक, जिला थीमेटिक एक्सपर्ट तथा विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
----	------------------	--	--	---

3.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमा (इण्डो चाइना बॉर्डर) पर राज्य के चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के 05 विकासखण्डों के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:- • आर्थिक विकास-आजीविका सृजन • सड़क सम्पर्क • आवासन एवं ग्रामीण अवसंरचना • पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता • सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना • पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नउत्थान • पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना	---	---
----	---------------------------	--	-----	-----

		• वित्तीय समावेशन • कौशल विकास और उद्यमिता कृषि/बागवानी/औषधीय पौधों/जड़ी बूटियों आदि सहित, आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिये स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास।		
4.	हाउस ऑफ हिमालयाज	1. “स्थानीय उत्पादों को नई पहचान”: हाउस ऑफ हिमालयाज के बैनर तले उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इससे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। 2. “महिला सशक्तिकरण”: राज्य के सभी जनपदों में स्थित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यह पहल उन्हें रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। 3. “बाजार पहुंच और प्रसार”: हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, गुणवत्ता सुधार, और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचने का अवसर मिल रहा है। “गुणवत्ता नियंत्रण”: संभावित गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एसएचजी/ एलसी/ सीएलएफ के माध्यम से योजनाएं बनाई गई हैं।	उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासी तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी भी योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सी0बी0ओ0, महिला उद्यमी, एल0सी0 एवं सी0एल0एफ0 द्वारा उत्पादित उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालया के अंतर्गत जोड़ा जायेगा।	

5.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत (Percentage of banking correspondent (BC) sakhis/digiPay sakhis are deployed)	जिन स्थानों पर बैंक नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवायें पहुँचाना।	1. स्वयं सहायता समूहों का सदस्य होना चाहिये। 2. 10वीं या 12वीं पास होना चाहिये। 3. दस्तावेजीकरण का कौशल होना चाहिये। कम्प्यूटर एवं मोबाईल फोन चलाने में दक्षता।	यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा पोलसी के अनुसार ब्लॉक स्तर पर संगठनों के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाता है। चयनित सदस्यों का आर.सेटी. के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाता है, जो इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेता है, उन्हें आई.आई.बी.एफ प्रमाणिकरण किया जाता है।
6.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण समुदाय की समस्त बसावटों को पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न चरणों के मानकानुसार संयोजित कर ग्रामीण जनमानस के आजीविका वृद्धि एवं आर्थिकी विकास हेतु मोटर मार्ग के सफल संचालन कर लाभान्वित करना है, जिससे कि राज्य का अन्तिम व्यक्ति भी तक उक्त योजना से लाभान्वित हो सके। उक्त परियोजनान्तर्गत वर्तमान में 0.96 प्रतिशत बसावटे असंयोजित अवशेष है।	• उक्त परियोजनान्तर्गत कोर नेटवर्क के अनुसार 250 से अधिक आबादी की असंयोजित बसावटें।	—

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग



उत्तराखण्ड सरकार ने पलायन की समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेगा, ज़मीनी स्तर पर बहु-क्षेत्रीय विकास पर सरकार को सलाह देगा, जिला और राज्य स्तरों पर सरकार को विभिन्न अन्य संबंधित मामलों को भी प्रस्तुत करेगा।

उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन एक गंभीर समस्या है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आकड़ों की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से देखी जा रही है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी में गिरावट राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन

की ओर इशारा करती है। पलायन की गति ऐसी है कि कई ग्रामों की आबादी दो अंको में रह गयी है, आँकड़े दर्शाते हैं की देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जनपदों में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है, जबकि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जनपदों में यह दर नकारात्मक है। टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपदों में असामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है।

आयोग के कार्य:-

- 1- राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास की मात्रा और सीमा का आंकलन करने के लिए।
- 2- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, जो कि पलायन को कम करने में मदद करेगा और ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देगा।
- 3- सरकार को ज़मीनी स्तर पर बहु-क्षेत्रीय विकास पर सलाह देने के लिए जो जिला और राज्य स्तरों पर एकत्रित होगा।
- 4- राज्य की आबादी के उन वर्गों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हैं।
- 5- उन क्षेत्रों में केंद्रित पहलों की सिफारिश करना और उन पर निगरानी रखना जो ग्रामीण क्षेत्रों के बहु-क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे और इस तरह से पलायन की समस्या को कम करने में मदद करेंगे।
- 6- राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें प्रस्तुत करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड



क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टेट मिलेट मिशन	मिशन अन्तर्गत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग द्वारा समूह के माध्यम से 16820 मै0 टन मण्डुवा एवं झंगोरा का क्रय कृषकों के खेतों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार के चार जनपदों-उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल एवं देहरादून में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड) में मण्डुआ को प्रत्येक माह 01 किलोग्राम की दर से वितरण किया जायेगा। कृषक समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS स्तर पर	पर्वतीय जनपद के समस्त कृषक	आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है। कृषकों को उत्पादित फसल को कृषक समूह/ एल0सी0/ एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS

		स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र है। समूह को मंडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रु0 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव है। समूह द्वारा पैक्स पर मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण कराने के उपरान्त पैक्स के माध्यम से भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा अधिकतम 72 घण्टों में कर दिया जायेगा।		स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु उपलब्ध कराना है।
2.	स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	योजनान्तर्गत स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों को शत प्रतिशत अनुदान पर वितरण कर निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जायेगी- क- क्षेत्र विशेष के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु सत्यापित बीज (truthful level seed) अनुदान पर वितरण करना ख- बीज प्रतिस्थापन दर की पूर्ति करना। ग- गुणवत्तायुक्त बीज के उपयोग मात्र से ही उत्पादन में वृद्धि की जाना सम्भव है। इससे जनपदों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। घ- स्थानीय दलहन फसलों को प्रोत्साहन करना। ङ- कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराना। बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गठित कलस्टरों में UGVS-REAP के अन्तर्गत गठित CLF/LC तथा कृषि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। जिन फसलों में परम्परागत योजनान्तर्गत कलस्टर संचालित नहीं है उनमें सत्यापित बीज उत्पादन हेतु CLF/LC के माध्यम से कलस्टर का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा इन्ही क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा तथा उत्पादित बीज को क्षेत्रवार विधायन कर उन्ही क्षेत्रों में वितरित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित परम्परागत फसलें- 1.राजमा 2.गहत 3.रामदाना 4.लाल धान 5. मक्का-नैनीताल एवं चकराता क्षेत्र 6. भट्ट 7. उगल/ फाफर 8. कौणी 9. तोर (अरहर)	पर्वतीय जनपद के समस्त कृषक	चयनित कलस्टर के समस्त कृषक।

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद



क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	नमामि गंगे योजना	योजनान्तर्गत कृषकों को कलस्टर के रूप में जैविक खेती किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।	प्रदेश में गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों के किनारे के ग्रामों में आने वाले कृषक।	आवेदन संलग्न प्रारूप पर जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय किसान भवन देहरादून में जमा किये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड



उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

क्र.सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	व्यवसायिक दुकानों का आवंटन	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाईसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	आवेदन प्रक्रिया 1- दुकान आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना। 2- फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना। चयन प्रक्रिया- 1- व्यवसायिक दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध दुकानों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।
2.	किसान बाजार की दुकानों का आवंटन	कृषि उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों का व्यापार।	जन सामान्य।	आवेदन प्रक्रिया 1- किसान बाजार की दुकान आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना। 2- निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना। चयन प्रक्रिया- 1- किसान बाजार की दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- दुकान आवंटन कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है। 3- सर्वाधिक निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों/निविदादाताओं से बोली लगाई जाती है। 4- सर्वाधिक बोली बोलने वाले बोलीदाता को दुकान आवंटन की जाती है।
3	कैण्टीनों का आवंटन	चाय व अन्य खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार।	जन सामान्य।	आवेदन प्रक्रिया 1- कैण्टीनों के आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक

				स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना। 2- निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना। चयन प्रक्रिया- 1- कैंटीनों का आवंटन समिति स्तर से गठित कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है। 3-सर्वाधिक निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों/निविदा ताओं को कैंटीन एक वर्ष के लिए आवंटित कर दी जाती है।
4	व्यापारिक गोदाम	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाईसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	आवेदन प्रक्रिया 1- गोदाम आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सर्वाजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना। 2- फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना। चयन प्रक्रिया- 1 व्यापारिक गोदाम का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध गोदामों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।
5.	छात्रवृत्ति योजना	उत्तराखण्ड राज्य के गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, आर0एम0पी0 (पी0जी0) कालेज, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, औद्योगिक महाविद्यालय, वी. च. सिं. ग. उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल एवं वानिकी महाविद्यालय, वी. च. सिं. ग.	1- उत्तराखण्ड राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र/पुत्रियों के लिए है। 2- जिनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रु0 3,00,000 /-(रु0 तीन	1- आवेदक द्वारा संबंधित मण्डी समिति द्वारा प्राप्त संबंधित मण्डी क्षेत्र का होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। 2- पात्र विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में आवेदन किया जायेगा। 3- विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।

		उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी में कृषि, वानिकी, मत्स्य, औद्यानिक संकाय में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के चयन में लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है।	लाख) से अधिक न हो।	
6.	व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डी क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी मजदूरों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलिप्त हैं। जैसे कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों तथा खेत की सिंचाई हेतु कुओं तथा तालाबों की खुदाई या गहराई बढ़ाने में कार्यरत हैं, या ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पाद की श्रेसिंग/दुलाई करते समय या खेत में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक क्षति/मृत्यु होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मण्डी विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना का संचालित किया जाता है।	1- व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए। 2- दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु 18 है।	1- उपरोक्त स्वीकार की गयी दुर्घटना के लिए प्रभावित कृषक/मजदूर द्वारा संभव तुरन्त अथवा 45 दिनों के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति अथवा परगनाधिकारी को देनी होगी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर अधिकतम 15 दिनों के अन्दर स्वयं अथवा मण्डी समिति कर्मचारी से जांच करायी जायेगी। 2- दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दावा प्रपत्र पर उसके निकट के दो रिश्तेदारों के गवाह के रूप में अथवा सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। दावे का प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होने की स्थिति में आवेदन पत्र सभी प्रविष्टियां/हस्ताक्षर/अंगूठे/कटे हाथों के निशान सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा प्रमाणित/सत्यापित होने चाहिए। 3- दुर्घटना द्वारा मृत्यु की दशा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट/विशेष परिस्थिति में शवदाह हेतु कराया गया पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 4- दुर्घटना ग्रस्त स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र कटे या अलग हुए तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रंगीन दो फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज) एवं निकटस्थ दो रिश्तेदारों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

				5- दावा प्रपत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। मण्डी समिति द्वारा दुर्घटना की पुष्टि एवं प्रमाण पत्र हेतु जांच की पूर्ण आख्या (रिपोर्ट) संलग्न होना आवश्यक है। 6- दावा प्रपत्र पर आवेदक की ओर से हस्ताक्षर/बांये/दांये अंगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बांया अंगूठा कटा हो, तो दाये अंगूठे का निशान, यदि दोनों अंगूठे कटे हो, तो क्रियाशील हाथ की अंगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हो तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा, यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए होगा। 7- सचिव, मण्डी समिति द्वारा जांचोपरान्त सम्पूर्ण दावा प्रपत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु अध्यक्ष/प्रशासक को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। जैसा कि दावा प्रपत्र के अन्त में दिया गया है, दावा स्वीकृत करने के पूर्व इसकी जांच अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से करायी जायेगी। दावा यथा संभव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा उक्त समयावधि बढ़ायी जा सकती है। दावा स्वीकृत करने के उपरान्त अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा दावा प्रपत्र भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को भेज दिया जायेगा तथा मण्डी बोर्ड द्वारा दावे की धनराशि का ड्राफ्ट दावाकर्ता के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी सचिव को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
7.	कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में खेत में तैयार फसल/खेत में कटी हुई फसल/खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज अवशेष अंश का अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति, कृषक के मकान में आग लगने से सम्पत्ति एवं पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य	1- कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना के अर्न्तगत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए। 2- दावा स्वीकार करने	1- अग्नि दुर्घटना एवं बाढ़ से हुई दुर्घटना की सूचना के लिए प्रभावित कृषक/उत्पादक को निर्धारित प्रारूप (निःशुल्क प्रार्थना पत्र, जो मण्डी समिति कार्यालय में उपलब्ध है) पर घटना के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक अथवा सम्बन्धित मण्डी समिति के क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2- प्राप्त दावा की जांच मण्डी समिति के सचिव द्वारा कराई

		भूमि के कटाव से हुई क्षति पूर्ति का लाभ कृषकों को।	के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।	जायेगी तथा अपनी जांच एक सप्ताह में पूर्ण करके अपनी अन्तिम आख्या अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति को अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि दावा प्रपत्र में अन्त में दिया गया है। जहां मण्डी समिति के कार्यालय नहीं है, वहां ऐसी जांच सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा करके उस क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रेषित की जायेगी। 3- मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दावा प्रपत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त उसके भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति का अनुमोदन लेकर की जायेगी। 4- उपरोक्त समस्त कार्यवाही यथा संभव दो माह में पूर्ण कर ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार समयावधि अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है। 5- सहायता दावों के भुगतान हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट दावाकर्ता के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव को भुगतान करने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
8.	ठेकेदारी का पंजीकरण	समस्त आवेदक/जनसामान्य	फर्म/ठेकेदार द्वारा सभी श्रेणियों हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना।	विपणन बोर्ड में चार श्रेणियों में पंजीकरण किया जाता है (अ,ब,स एवं द) सर्वप्रथम पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पंजीयन फार्म क्रय किया जाता है। उसके उपरान्त फर्म/ठेकेदार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। जिसका विवरण श्रेणीवार निम्नवत है:- श्रेणी-अ 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रु0 30.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिग्री होल्डर की डिग्री की प्रति 5. डिग्री होल्डर की ओर से शपथ-प्रति 6. डिग्री होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की

				प्रति 15. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रु0 300.00 लाख का, जिसमें रु0 50-50 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 17. पंजीकरण शुल्क: रु0 10000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 18. पंजीकरण जमानत राशि: रु0 2.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रु0 50.00 लाख से अधिक। श्रेणी-ब 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रु0 15.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति, 5. डिप्लोमा होल्डर की और से शपथ-पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति, 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की प्रति 15. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रु0 150.00 लाख का जिसमें रु0 25-25 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 17. पंजीकरण शुल्क: रु0 5000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 18. पंजीकरण जमानत राशि: रु0 1.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रु0 50.00 लाख तक। श्रेणी-स 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रु0 10.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति 5. डिप्लोमा होल्डर की और से शपथ-पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. पैनकार्ड की प्रति 9. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 10. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 11. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 12. पार्टनर शिप डीड की प्रति 13. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रु0 45.00 लाख
--	--	--	--	---

			का, जिसमें रु0 15-15 लाख के दो पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 14. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 15. पंजीकरण शुल्क: रु0 3000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में 16. पंजीकरण जमानत राशि: रु0 50.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 17. कार्य क्षमता रु0 20.00 लाख तक। श्रेणी-द 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रु0 5.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति, 5. पैनकार्ड की प्रति 6. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 7. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 8. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 9. पार्टनरशिप डीड की प्रति 10. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रु0 5.00 लाख का 11. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 12. पंजीकरण शुल्क: रु0 2000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 13. पंजीकरण जमानत राशि: रु0 20.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 14. कार्य क्षमता रु0 10.00 लाख तक। नोट:- प्रत्येक श्रेणी में दिये गये प्रमाण-पत्रों की जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त पंजीकरण किया जाता है।
9.	सम्पर्क मार्ग	ग्रामीणों/कृषकों	ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां फसल को मुख्य मार्ग तक लाने की आवश्यकता हो। किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से निर्माण शाखा द्वारा सम्पर्क मार्ग की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।
10.	हैण्डपम्प	ग्रामीणों/कृषक	ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता हो किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से वि0/या0 शाखा द्वारा हैण्डपम्प की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।



गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर अमेरिका के लैण्ड ग्रांट पैटर्न पर स्थापित भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 17 नवम्बर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० नारमन ई० बोर्लॉग द्वारा इसे “हरित क्रान्ति की जन्मस्थली” के नाम से सम्बोधित किया गया है। विगत छः दशकों में यह विश्वविद्यालय खाद्यान्न उत्पादन के अलावा पशुधन, दुग्ध, तिलहनी फसलों तथा मत्स्य उत्पादन में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार में अपने अहम योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आईसीएआर) द्वारा इसे तीन बार सरदार पटेल आउट स्टैंडिंग इन्स्टीट्यूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के अलावा विश्वविद्यालय आईसीएआर रैंकिंग में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। पन्त विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ड रैंकिंग बाई सवजैक्ट में 301–350वें स्थान के साथ देश के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाने वाला अकेला विश्वविद्यालय रहा है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक्रिडिटेशन में “ए” रैंक प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर की एनआईआरएफ रैंकिंग-एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड 2024 में विश्वविद्यालय को 8वां स्थान एवं कृषि विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान प्राप्त है।

शैक्षणिक कार्यक्रम

विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय में सात महाविद्यालय क्रमशः कृषि महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पशुचिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिक महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 4300 विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों के लिए अध्ययनरत हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय निम्न पाठ्यक्रमों के स्नातक, पारस्नातक एवं पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान कर रहा है।

1.	स्नातक पाठ्यक्रम	बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि, बी.एस.सी. (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान, बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच., बी.एफ.एस.सी., बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी), बी.टेक. (बायोटेक्नोलॉजी), बी.टेक- (जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग, बी.टेक. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्र. इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, बी.टेक. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी.टेक. औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग
2.	परास्नातक पाठ्यक्रम	कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवांशिकी और पादप प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, (मत्स्य विज्ञान प्रमुख) जलीय कृषि, मत्स्य विज्ञान/जलकृषि में स्नातक की डिग्री मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी मत्स्य विज्ञान स्नातक

	(सामुदायिक विज्ञान प्रमुख) परिधान और वस्त्र विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान के साथ-साथ इंटरमीडिएट विज्ञान संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ। खाद्य और पोषण, बीएससी होम साइंस विद इंटरमीडिएट साइंस/बीएससी फूड टेक/बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस/बीएससी होम इकोनॉमिक्स/बीएससी (ऑनर्स) फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स/बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। मानव विकास और परिवार अध्ययन बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/बीएससी गृह अर्थशास्त्र/बीएससी परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी सामुदायिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के साथ-साथ इंटरमीडिएट विज्ञान। (विज्ञान प्रमुख) कृषि रसायन, बीएससी रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में/ बीएससी कृषि/बागवानी/वानिकी/बीएससी (ऑनर्स) कृषि। जैव रसायन, जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/कृषि/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/वानिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी में बीएससी/रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में लेकर बीएससी/बागवानी में बीएससी। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी. रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी. पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण जीव विज्ञान के साथ बीएससी एक प्रमुख विषय के रूप में/जेडबीसी/कृषि/मत्स्य पालन/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/वानिकी/बागवानी में बीएससी। एम.टेक. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी/डेयरी प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री गणित, बी.एस.सी. गणित विषय के साथ एक प्रमुख विषय के रूप में
--	--

	सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / कृषि / मत्स्य / वानिकी / गृह विज्ञान / सामुदायिक विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी / बायोलॉजी (जूलॉजी और बॉटनी के साथ कोई अन्य विषय) / बीएससी बागवानी / बीटेक (बायोटेक्नोलॉजी)। आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि / बागवानी / वानिकी / मत्स्य विज्ञान / कृषि जैव प्रौद्योगिकी / बी.टेक. जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्लांट फिजियोलॉजी, कृषि / बागवानी / वानिकी में बीएससी या प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में बीएससी / रसायन विज्ञान / जैव रसायन विज्ञान / सूक्ष्म जीव विज्ञान / पादप कार्यिकी में बीएससी। भौतिकी भौतिकी विषय के साथ बी.एस.सी. (पशु चिकित्सा विज्ञान प्रमुख) पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पशु चिकित्सा विस्तार शिक्षा, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पोल्ट्री विज्ञान, पशु पोषण, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन बी.वी.एससी. एवं ए.एच. / बी.वी.एससी. (इंजीनियरिंग प्रमुख) कृषि मशीनरी और विद्युत इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। प्रसंस्करण और खाद्य इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग / रासायनिक इंजीनियरिंग / बी.टेक. खाद्य विज्ञान / बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी / बी.टेक. डेयरी प्रौद्योगिकी / बी.टेक. खाद्य इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.टेक. / बी.ई. डिग्री।
--	---

	डिजाइन और उत्पादन इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/औद्योगिक एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। विद्युत ऊर्जा प्रणाली, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/संचार इंजीनियरिंग/दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। सूचना प्रौद्योगिकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. डिग्री। विनिर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल/प्रोडक्शन और टूल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/मेक्ट्रोनिक्स/मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन/प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. (इंजीनियरिंग) की डिग्री। मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री संरचनात्मक इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री थर्मल इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री परिवहन इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। (प्रबंधन कार्यक्रम) एमबीए (कृषि व्यवसाय), कृषि, कृषि रसायन, कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी विज्ञान/प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, खाद्य विज्ञान/प्रौद्योगिकी, वानिकी, बागवानी,
--	---

		पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान या बी.टेक. (जैव प्रौद्योगिकी) में स्नातक और/या मास्टर डिग्री। एमबीए एआईयू यूजीसी या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (एससी / एसटी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में 45 प्रतिशत) के साथ स्नातक की डिग्री। एमसीए एम.सी.ए. कार्यक्रम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ बीसीए/बीएससी/बीएससी (सूचना प्रौद्योगिकी)/बीएससी कंप्यूटर विज्ञान
3.	पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम	कृषि कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवांशिकी और पौध प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिंचाई एवं जल निकासी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सामुदायिक विज्ञान खाद्य एवं पोषण, परिधान एवं वस्त्र विज्ञान, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान मत्स्य विज्ञान-एक्वाकल्चर विज्ञान एम.एससी. एजी./एम.एससी. कृषि रसायन में, जैव रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी, प्लांट फिजियोलॉजी पशु चिकित्सा विज्ञान पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, पशु प्रजनन स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पोल्ट्री विज्ञान, पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा और रेडियोलॉजी, पशु चिकित्सा जैव रसायन, पशु आनुवांशिकी और प्रजनन, पशु पोषण, पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी प्रबंधन-प्रबंध

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषय की पुस्तकों से तथा डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के अध्ययन अध्यापन के लिए उपलब्ध है। विभिन्न महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम तथा गोष्ठी आदि के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर एक हजार क्षमता वाला सभागार (गांधी हॉल) उपलब्ध है। विद्यार्थियों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके इसलिए छात्र कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ छात्रों को समय समय पर निम्नानुसार दी जा रही हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	खेल छात्रवृत्ति (यूजी)	रु० 800/- प्रति माह	01 वर्ष (यूजी) 06 विद्यार्थी	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
2	विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी)	रु० 6,000/- प्रति माह	पी०एच०डी० में अध्ययनरत विद्यार्थी 36 महीने या रफ थीसिस जमा करने की तारीख, जो भी पहले हो	नये एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को उनके पंजीकरण की दिनांक से अध्येतावृत्ति दिये जाने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा वर्ष 1994-95 में निर्धारित एवं कुलपति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अन्तर्गत उनसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शैक्षिक प्रगति के आधार पर इसका प्रत्येक मास में नवीनीकरण किया जायेगा। रु० 6000/-प्रतिमाह की यह अध्येतावृत्ति पीएच०डी० के प्रत्येक उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त दो छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मैरिट के अनुसार स्वीकृति की जायेगी। मैरिट लिस्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उसे अपनी संस्तुतियों के साथ अपने विभाग के समस्त छात्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का संलग्न करते हुए इस कार्यालय को भेजेंगे, तदुपरान्त विभागाध्यक्षों की यह संस्तुतियाँ अध्येतावृत्ति स्वीकृति दिये जाने हेतु पूर्व में गठित समिति के सम्मुख अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा रखी जाती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है एवं चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। जिसका भुगतान निदेशक शोध कार्यालय द्वारा की जाती है।
3	मेरिट छात्रवृत्ति (शीर्ष 03 यूजी छात्र)	/800 प्रति माह	यूजी छात्र 3 वर्ष और पशु चिकित्सा छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्राप्त विभिन्न स्नातक प्रोग्राम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम 03 विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
4.	फ्रीशिप स्टाफ वार्ड	ट्यूशन का 50	यूजी छात्र 4 वर्ष,	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त

		प्रतिशत फीस	पीजी छात्र 03 वर्ष पी.एच.डी छात्र 3 वर्ष	आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
5.	रु0 1,00,000 से कम फ्रीशिप (केवल यूजी छात्र)	फ्रीशिप ट्यूशन फीस	यूजी छात्र 3 वर्ष और वेटी, छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
6.	मंडी समिति	1500 रु0 प्रतिमाह	04 वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
7.	छात्रवृत्ति योजना पीएमएसएस (सीधे प्रवेश फॉर्म एआईसीटीई)	सरकार द्वारा छात्र के खाते में सीधे केवल ट्यूशन फीस प्राप्त होती है	यूजी छात्र – 4 वर्ष	विद्यार्थियों द्वारा (J&K PMSSS) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करेंगे आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो का स्वघोषणा पत्र आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को DBT Status को admitted and verified किया जाता है, AICTE, द्वारा का DBT Status approve किया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है पात्र आवेदकों हेतु AICTE द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। जिसका भुगतान विद्यार्थियों को किया जाता है।
8.	गेट छात्रवृत्ति	12,400/- प्रति माह	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया प्रौद्योगिक महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

9.	डीएसटी-इंस्पायर (पीएचडी)	(एम.टेक.)	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को डी0एस0टी0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पी0एफ0एम0एस0 में डी0एस0टी0 द्वारा लिमिट प्रदान की जाती है। जिसके पश्चात् विद्यार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
10.	आईसीएमआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएमआर द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
11.	आईसीएसएसआर (पीएचडी)	अगले 03 वर्ष के लिए 35,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएसएसआर द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
12.	सीएसआईआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को सीएसआईआर द्वारा अवॉर्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ऑन लाईन दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् विद्यार्थियों के सलाहकार द्वारा ऑन लाईन verified किया जाता है तत्पश्चात् अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार सीएसआईआर द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
13.	आईसीएआर-एनटी एस यूजी (बी. एससी.)	3,000 / – प्रति माह	04 वर्ष 05 वर्ष 6 माह केवल वी. सी.आई. के लिए।	सर्वप्रथम ICAR द्वारा प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की मांग ICAR के पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसके उपरांत ICAR द्वारा विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
14.	आईसीएआर-एनटी एस पीजी (एम. एससी.)	5,000 / – प्रति माह	02 वर्ष	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
15.	आईसीएआर-एसआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000 / – प्रति माह अगले 01 वर्ष के लिए 35,000 / – प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16	आईसीएआर-जेआर एफ एम.एससी.	12,640 / – प्रति माह	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
17	आरजीएनएफ-नेट-जेआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / – प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को यू0जी0सी0 द्वारा प्राप्त अवॉर्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ऑन लाईन (ugc.ac.in) पर verified किया जाता है पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार यू0जी0सी0 द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
18	आरजीएनएफ-एससी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / – प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 29 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
19	आरजीएनएफ-एसटी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / – प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	—तदैव—
20	आरजीएनएफ-ओबीसी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / – प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / – प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	—तदैव—

21	पीडीएफ-एचएससी	45,480 / – प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	–तदैव–
22	पीडीएफ-महिला	43,200 प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	–तदैव–
23	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / – प्रति माह	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	–तदैव–
24	आईसीएआर– अफगानिस्तान	15,000 / – प्रति माह (एम. एससी.) 18,000 / – प्रति माह (पीएचडी)	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो 03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएआर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
25	आईसीएआर– अफ्रीकी	18,000 / – प्रति माह (एम. एससी.)	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएआर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
26	अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ)	रु0 7000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
27	मेरिट एसएच का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए. इंजीनियरिंग (बी.टेक	रु0 2000 प्रति माह	एक वर्ष	क्रमांक- 38 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

	तृतीय/चतुर्थ वर्ष)			
28	चांसलर स्वर्ण पदक	स्वर्ण पदक	एक वर्ष	—तदैव—
29	डॉ. ध्यानपाल सिंह मेमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र)	रु0 30000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
30	डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष)	रु0 1100 प्रति माह	एक वर्ष	—तदैव—
31	एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन)	रु0 1200 अपराह्न	एक वर्ष	—तदैव—
32	प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र)	रु0 800 प्रति माह	एक वर्ष	—तदैव—
33	मोनसेंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी)	रु0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	—तदैव—
34	के.सी. शर्मा फेलोशिप (एम. एससी. एजी, एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र)	रु0 1000 प्रति माह	एक वर्ष	—तदैव—
35	डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी प्रति वर्ष)	रु0 25000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—

	गणित)			
36	डॉ. वी.एन. माथुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित)	रु0 20000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
37	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रु0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—
38	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रु0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—
39	श्रीमती उमा गुप्ता फेलोशिप (एम. एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग)	रु0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	—तदैव—
40	श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए. एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.)	रु0 12,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
41	डॉ. वाई.वी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह पुरस्कार	रु0 20,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
42	वरुण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी.)	रु0 10000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—

द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र)			
---	--	--	--

विश्वविद्यालय का विभिन्न फसलों की अब तक कुल 354 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है जिससे कि पूरे देश के किसान लाभान्वित होते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों का लगभग 7000 कुन्तल प्रजनक बीज देश के प्रत्येक कोने में पहुंचता है। जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक फसलों की सैपलिंग भी कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है। विश्वविद्यालय का देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से करार है जिससे विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जो कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फसलों के अलावा गुणवत्तापूर्ण मशरूम, शहद आदि का भी उत्पादन किया जाता है।

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	बीज अनुदान	किसानों को किसान मेले के दौरान 15 प्रतिशत तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है।	कृषक	सभी कृषकों को बीज उपलब्धता के आधार पर किसान मेले के दौरान प्रदान किये जाते हैं।
2.	रिसर्च असिस्टेंटशिप	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थियों को रिसर्च असिस्टेंटशिप दी जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थी	विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित लिखित परीक्षा एवं ग्रेड (OGPA) के आधार पर चयन किया जाता है।

- वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु 404 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें से कृषकों को सीधे लाभ हेतु 14 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं द्वारा कृषकों को नवीनतम तकनीक प्रदान की जाती है। साथ ही उपलब्धतानुसार चयनित कृषकों को कृषि इनपुट भी प्रदान किये जाते हैं। इनमें प्रगतिशील कृषक, एस0सी0, एस0टी. कृषक एवं महिला कृषक सम्मिलित हैं।
- अब तक विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों हेतु विभिन्न फसलों की 354 प्रजातियाँ विकसित की गयी हैं। इन प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीज से उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 5-10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह बीज उपलब्धता के आधार पर विवि में विक्रय किये जाते हैं। कृषि मेलों के समय (वर्ष में दो बार) सभी फसलों के बीज 15 प्रतिशत छूट पर प्रदान किये जाते हैं।

प्रसार शिक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई	विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता	विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी आवश्यकतानुसार पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों के रेखीय विभागों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
2.	समेटी-उत्तराखण्ड	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	आत्मा एवं कृषि आधारित रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता एवं प्रगतिशील किसान	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक 'आत्मा' के माध्यम से नामांकन कराकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के 09 जनपदों (अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून) में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जनपद में स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, अनुकरणीय प्रदर्शन तथा अन्य प्रसार गतिविधियों का संचालन किया जाता है।	कृषक, ग्रामीण युवा, रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता	कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना जारी की जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे उपरान्त योजना तैयार की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किये जाते हैं।
4.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक	एकल खिड़की प्रणाली अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समस्त उत्पादों, साहित्य, तकनीकी सूचना इत्यादि की उपलब्धता।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में पधारने वाले आगन्तुक	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में पधारने वाले आगन्तुक।
5.	अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	वर्ष में दो बार अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाता है।	कृषक, कृषक उद्यमी, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विषयों के फर्मों द्वारा नवीनतम तकनीकियां उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभाग करना।	कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित फर्मों द्वारा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रदर्शनी लगायी जाती है तथा कृषकों द्वारा पंजीकरण कराकर प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया जाता है।

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड



उद्यान विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र	प्रशिक्षण: सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 10 दिवसीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिवसीय फल सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सामुदायिक प्रसंस्करण केन्द्र से कोई भी व्यक्ति/कास्तकार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता/सकती है। जिसके प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी रु0 15 (पन्द्रह रुपये) शुल्क प्राप्त किया जाता है।	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।
		खाद्य प्रसंस्करण: सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा सामुदायिक प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर खाद्य उत्पाद तैयार करवाया जा सकता है। खाद्य उत्पाद तैयार करवाने हेतु शुल्क रु0 15 (पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम लिया जाता है।	
2	राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र	राज्य में 02 खाद्य विभाग प्रशिक्षण केन्द्र है। जहां पर कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फैक्सनरी एवं कुकरी (पाककला) में एक वर्ष छः माह का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।	डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के होंगे, तदनुसार छात्र/छात्राओं को कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण कोर्स में प्रवेश हेतु (इण्टरमीडिएट विज्ञान कृषि) तथा अन्य कोर्स में प्रवेश हेतु (इण्टरमीडिएट) उत्तराखण्ड स्थित संस्था से उत्तीर्ण की हो, वे ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।	अभ्यर्थियों का चयन इण्टरमीडिएट में प्राप्त प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर किया जाता है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल



विश्वविद्यालय का गठन एवं उद्देश्य: औद्यानिकी, पर्वतीय कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में प्रदेश के सतत विकास के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन, के पत्रांक सं० 732/XIII-II/2011-12(02)/2011 देहरादून दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख आयाम हैं—

1. शिक्षण — विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में बी०एस०सी०, एम०एस०सी० एवं पीएच०डी० के विभिन्न अनुशासनों में पाठन-पठन।
2. शोध — विश्वविद्यालय में पर्वतीय कृषि, औद्यानिकी, वानिकी तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में शोध कार्य करना।
3. आपने शोध एवं प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अनुदेशकों के माध्यम से किसानों/पंचायतों को कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार उत्तम बीज तथा उत्कृष्ट प्रजाति की बागवानी पौध उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा कराई जाती है जिसके माध्यम से बी०एस०सी०, एम०एस०सी० एवं पीएच०डी० के विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जाता है।

पीएच०डी० कार्यक्रम			
1.	एग्रसेफॉरेस्ट्री	2. सिल्वीकल्चर	3. ट्री इम्प्रूवमेन्ट
4.	फॉरेस्ट प्रोडक्ट एण्ड यूटिलाइजेशन	5. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स	6. फ्रूट साइंस
7.	एनवायरमेन्टल साइंस		

एम0एस0सी0 कार्यक्रम			
1	फ्रूट साइंस	2. वेजीटेबल साइंस	3. पलोरीकल्वर एण्ड लैंडस्केपिंग
4.	पलांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिल एंड एरोमेटिक प्लांट्स	5. एन्टोमालोजी	6. प्लांट पैथोलॉजी
7.	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट	सीड साइंस एण्ड टैकनालॉजी	9. सिल्वीकल्वर एण्ड एग्रसेफॉरेस्ट्र
10.	फॉरेस्ट बायोलॉजी एण्ड ट्री इम्प्रूवमेन्ट	11. फॉरेस्ट प्रोडक्ट एण्ड यूटिलाइजेशन	12. सिल्वीकल्वर
13.	एग्रसेफॉरेस्ट्र	14. एनवायरमेन्टल साइंस	15. एक्टेनशन एजुकेशन
16.	एग्रोनामी	17. प्लांट पैथोलॉजी	
बी0एस0सी0 (आनर्स) कार्यक्रम			
1	फॉरेस्ट्री	2. हॉर्टीकल्वर	3. एग्रीकल्वर

अन्य विवरण :-

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पीएच0डी0	कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता परख शिक्षा प्राप्त करना	बी0एस0सी0 हेतु विज्ञान से इन्टरमीडिएट, एम0एस0सी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक तथा पीएच0डी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर	राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है
2	किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक योजनायें	कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी के आधुनिकतम तकनीकी प्रशिक्षण तथा उन्नत बीज एवं पौध प्रदान किए जाते हैं।	प्रदेश के कृषक	समय-समय पर किसान मित्रों से कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा स्वयं सम्पर्क कर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उपलब्धियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।
3	ग्रामीण कृषि मौसम सेवा	किसानों को सप्ताहिक मौसम की जानकारी दी जाती है	समस्त किसान	—
4	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	चयनित प्रजातियों पर शोध, संरक्षण, जनन द्रव्य संरक्षण, प्रजातियों में सुधार की सम्भावनाओं का अध्ययन तथा गुणवत्ता परख पौध वितरण एवं प्रशिक्षण	प्रदेश के कृषक	समय-समय पर किसान मित्रों से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान विभिन्न परियोजना द्वारा स्वयं सम्पर्क कर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उपलब्धियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड



पशुपालन विभाग

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु – डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (05 गाय इकाई), (10 गाय इकाई) (02 भैंस इकाई), (05 भैंस इकाई) भारवाहक उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत – एक खच्चर इकाई व दो खच्चर 250 इकाई भेड़ बकरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत – पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (5 मादा+1 नर) व (10 मादा+1 नर) सूकर उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (5मादा+1नर) व (10मादा+1नर) कुक्कुट उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (Commercial Broile) फार्म 1000 पक्षियों व Small Commercial Layer फार्म 250 पक्षियों की स्थापना हेतु उक्त इकाइयों की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।	इच्छुक पशुपालक जो बैंक ऋण की पात्रता रखते हैं।	योजना का संचालन वर्तमान में ऑफलाइन मोड में किया जायेगा। विभागीय पोर्टल के सुचारु रूप से संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन/पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए) को आवेदन किया जायेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात् पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त लाभार्थी के आवेदन-पत्र सहित सम्बन्धित बैंक के माध्यम से जांच एवं ऋण संस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य अनुश्रवण समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय, देहरादून में स्थापित होगा तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण का कार्य करेगी तथा जिलास्तरीय अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर योजना संचालित करवायेगी।

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड



उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.पर्वतीय जनपदों में रु0 100/न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 25 से 30 2.मैदानी जनपदों में रु0 100 न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 50 से 60	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की डाटा एन्ट्री भारत पशुधन ऐप पर करना अनिवार्य, प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी, एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संस्तुति	उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट— uldb- org पर Service section के Training sub head से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा।
2.	ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म	एक करोड़ की परियोजना लागत में अधिकतम 50 लाख की राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग, केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी	पशुपालक, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सेक्शन 8 में पंजीकृत कम्पनी, स्वयं सहायता समूह	Eoi-nddb-coop लिंक पर ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा किया जाना है।
3.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना	पशुधन बीमा	उत्तराखण्ड के समस्त पशुपालक	राजकीय पशुचिकित्सालयों पर पशुपालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास योजना	छोटे जुगाली करने वाले पशु कुक्कुट और सूअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन।	1.निजी व्यक्ति 2.स्वयं सहायता समूह (एस.एच. जी0) 3.किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना:- 1.राज्य कार्यान्वयन संस्था द्वारा आवेदन की स्क्रीनिंग। 2.ऋणदाता द्वारा ऋण की स्वीकृति।

			4.किसान सहकारिता (एफ.सी.ओ.) 5.संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) 6.धारा 8 की कंपनियाँ।	3.राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (एस.एल.ई.सी.) द्वारा अनुशंसा। 4.पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति। 5.सब्सिडी को जारी करना और उसका वितरण। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की बेसाइट www.dahd.nic.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।
5	ऐ-हेल्थ कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामुदायिक-सेवा आधारित ऐ-हेल्थ कार्यकर्त्रियों द्वारा पशुपालन विभाग तथा पशुपालकों के मध्य रिक्त स्थान के भरने के कार्य रा रोजगार का सृजन	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास हों, 07 दिवसीय पशु सखी का प्रशिक्षण लिया गया हो।	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चयनित पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

* अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें— uldb.org or www.dahd.nic.in

उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग



उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग

राज्य में गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण हेतु वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग की स्थापना की गयी है। आयोग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:-

1. आयोग द्वारा दूरभाष, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से गौवंश के प्रति क्रूरता, गौहत्या, गौकशी गौतस्करी से संबंधित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।
 2. आयोग द्वारा सड़क मार्गों पर गोवंश के घायल/बीमार पड़े होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से सूचित कर उस क्षेत्र के समीपस्थ पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से घायल/बीमार गोवंश का घटनास्थल पर निःशुल्क उपचार कराया जाता है।
 3. आयोग द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पशुक्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन कराकर गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ गोवंश से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर निस्तारण कराया जाता है।
 4. राज्य सरकार द्वारा इन निराश्रित गौ एवं गौवंश को शरण दिए जाने हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर एन0जी0ओ0 के माध्यम से छोटे-छोटे निजी गौसदनों के निर्माण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए जून-2023 में जारी गाइड लाइन में निम्न प्रावधान किए गये हैं:-
 - गौसदनों की स्थापना हेतु एन0जी0ओ0 को भूमि दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। चिन्हित भूमि पर स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यों हेतु यथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन0जी0ओ0 से एमओयू/अनुबंध किया जायेगा।
 - यदि किसी एन0जी0ओ0 के पास भूमि पहले से उपलब्ध होगी तो उसे गौसदन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जायेगा। अर्ह गौसदनों में शरणांगत गौवंश के भरण पोषण हेतु रू0 80/- प्रतिदिन प्रतिगौवंश राजकीय सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।
- आयोग द्वारा सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है। साथ ही सर्दी, गर्मी एवं बरसात बाढ़ जैसी आपदा के समय संबंधित विभागों के माध्यम से गौ एवं गौवंश को उचित शरण दिलाने एवं उनके चिकित्सा/उपचार व चारे दानों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड



डेयरी विकास विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर ही महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से समुचित संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु महिला सदस्यों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। जिसमें सचिव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रबंध कमेटी सदस्यों का प्रशिक्षण, महिला प्रोत्साहन/प्रेरक कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उपार्जन हेतु गोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलब्ध में महिला सेमिनार कराया जाता है। दुग्ध उपार्जन बढ़ाने हेतु महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सर्वाधिक दूध लाने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाता है।	प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद की वो सभी महिलाएं जिनकी दिलचस्पी दुग्ध उपार्जन व्यवसाय क्षेत्र में है।	खुली बैठक में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठन से संबंधित पूर्ण जानकारी देने के उपरांत महिला दुग्ध समिति गठन की सहमति होने पर महिला दुग्ध समिति सदस्यों से 9 महिलाओं को प्रबंध कमेटी सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है तथा चयनित सदस्यों के बीच से ही एक सभापति का चुनाव किया जाता है। तत्पश्चात् दुग्ध समिति के संचालन हेतु कर्मचारी के रूप में सचिव की नियुक्ति प्रबंध कमेटी द्वारा की जाती है। सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को जो, दुग्ध समिति में दूध देती है उन्हें समिति की सदस्यता लेनी होती है।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड



PROGRAM

मत्स्य विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मात्स्यिकी क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े किसानों/महिलाओं को विभिन्न गतिविधि/मदों में संलग्न तालिकानुसार। (तालिका 01) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण/फील्ड भ्रमण/सेमिनार निःशुल्क उपलब्ध कराना।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो अथवा पूर्व से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा अथवा अपुण सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा-खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के उपरान्त योजना के दिशा-निर्देशानुरूप वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात् फील्ड कर्मियों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह	राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्व-पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। जलकृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।	मछुआरे, मत्स्य पालक, फिश वर्कर, मछली विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं। राज्य में पंजीकृत स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों, समितियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सहकारी समितियों, महासंघों, ग्राम स्तरीय संगठनों और मत्स्य	1 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने हेतु स्वयं अथवा सी.एस.सी. के माध्यम से। 2 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से (क) संस्थागत वित्त पोषण आवेदन। (ख) जलकृषि बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन। (ग) incentive based /प्रदर्शन अनुदान हेतु आवेदन।

	योजना		पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में लगे स्टार्टअप के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यम।	
3.	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य क्षेत्रक	मात्स्यिकी क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यरत/इच्छुक समिति के लिये पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में ऋण आधारित बड़ी परियोजना लगाने के विकल्प। पर्वतीय जनपदों में कलस्टर आधार पर ट्राउट फार्मिंग, एंग्लिंग, रिटेल आउटलेट तथा मैदानी जनपदों में पंगेशियस फार्मिंग, मेजर कार्प, समन्वित मत्स्य पालन हेतु सुविधा उपलब्ध। परियोजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत ऋण, 20 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं समिति द्वारा वहन किया जायेगा। समितियों को डी0पी0आर0/ व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) तैयार करने में परियोजना से सहयोग तथा समय-समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन। समितियों द्वारा उत्पादित मछलियों की बिक्री हेतु सहयोग।	मत्स्य सहकारी समितियाँ	जो समिति अपने कार्यों को विस्तार देने तथा बड़ी योजना तैयार करने हेतु इच्छुक हो तथा उस समिति को निम्न औपचारिकताएँ पूर्ण करती हो - उत्तरांचल सहकारी अधिनियम-2003 यथा संशोधित के अन्तर्गत पंजीकृत हो। - समिति महासंघ/फ़ेडरेशन से सम्बन्ध हेतु सहमत हो, इस आशय का समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित हो। - समिति राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अनुरूप कार्य करने/ऋण/ याज/अन्य देयतायें आदि का भुगतान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकानुसार वापसी करने हेतु सहमत हो। - पूर्व में ऋण की राशि पर 10.95 प्रतिशत वार्षिक दर एवं वर्तमान में 9.61 की दर से ब्याज देय है, ब्याज दर समय-समय पर परिवर्तित होती है तथा ऋण धनराशि का आठ वर्षों के अन्तर्गत वापस की जानी है, जिसे एन०सी०डी०सी० द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है। - समिति प्रस्तावित कार्यों का आंगणन डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी को उपलब्ध कराते हुये अपना आवेदन पत्र उपलब्ध करा सकती है। समितियों को डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) तैयार करने में निरन्तर सहयोग दिया जाता है। - जनपद/राज्य स्तर पर डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) का मूल्यांकन करते हुये तथा उपयुक्त पाये जाने पर समिति का परियोजना अन्तर्गत चयन किया जाता है। - समितियों को धनराशि किश्तों में उपलब्ध करायी जाती है। - परियोजना के अन्तर्गत अभिसरण के माध्यम से चयनित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है। परियोजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु बेबसाइट https://www.ukcdp.com/sector/fisheries पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप तालिका -1

गतिविधि / मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला / अनु. जाति / जनजाति)	अधिकतम लिमिट / अनुदान सीमा
सघन मत्स्य पालन	4 हजार (प्रति 1000 फिंगरलिंग)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	मत्स्य पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार अधिकतम 2 वर्ष हेतु
ट्राउट रियरिंग यूनिट	90 हजार प्रति यूनिट	45 हजार	54 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 अथवा 6 यूनिट समिति / समूह आदि
लघु आर०ए०एस० यूनिट की स्थापना (50 वर्ग मीटर का 1 टैंक) / बायोप्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मीटर डायामीटर एवं 1.5 मीटर ऊँचाई के 3 टैंक)	4 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	2 लाख 25 हजार	2 लाख 70 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 यूनिट समिति / समूह आदि
एंग्लिंग बीट विकास	2 लाख 10 हजार प्रति बीट	1 लाख 5 हजार	1 लाख 26 हजार	01 बीट के विकास हेतु एक ही बार सुविधा अनुमन्य होगी
केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु ब्याज सबवेंशन	स्वीकृत प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु स्वीकृत मदवार वास्तविक लागत पर 2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन
अवसंरचनाओं एवं लाईवस्टॉक का बीमा	प्रीमियम धनराशि के अनुसार	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत
एक्वाकल्चर हेतु सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम	15.00 लाख प्रति यूनिट	7 लाख 50 हजार	9 लाख	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं समिति / समूह आदि हेतु
मत्स्य सहेली (महिला अथवा उनके समिति / समूह हेतु)	10 लाख (डी.पी.आर. आधारित)	—	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी प्रति ब्लॉक

पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर आधारित मत्स्य पालन (तालाब निर्माण)	1 हजार प्रति धन मी0	रु0 500 प्रति धन मी0	रु0 600 प्रति धन मी0	अधिकतम 500 धन मी0 व्यक्तिगत एवं 1000 धन मी0 समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण	11 लाख प्रति हैक्टेयर	5 लाख 50 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 10 हैक्टेयर समिति/समूह आदि
पर्वतीय क्षेत्र में तालाब सुधार	रु0 575 प्रति धन मी0	रु0 287.50 प्रति धन मी0	रु0 345 प्रति धन मी0	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 5 यूनिट समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में निजी/ग्राम समाज के तालाबों का सुधार	7 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	3 लाख 75 हजार प्रति हैक्टेयर	4 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 5 हैक्टेयर समिति/समूह/पट्टे तालाब आदि
समन्वित मत्स्य पालन (पर्वतीय क्षेत्र)	2 लाख प्रति यूनिट	1 लाख प्रति यूनिट	1 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
समन्वित मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र)	7 लाख प्रति यूनिट	3 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	4 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
मत्स्य आहार वितरण	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	मत्स्य पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार
अन्य इनपुट सामग्रियाँ (जाल, हैंडनैट, हापा, मिनीकीट)	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं 2 यूनिट समिति/समूह आदि

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड



PROO

“मेरी योजना” प्रथम संस्करण में वन विभाग के क्रम संख्या-4 के संलग्नक-1 में उल्लिखित मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजे के विवरण में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा धनराशि में संशोधन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है (संशोधित) –

मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली, 2024 के अनुसार अनुग्रह राशि हेतु देय दरें (रु० में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रु० में)	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 से देय राशि
साधारण रूप से घायल	15,000 / – 16,000 / –	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रु० 5,400 / – प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में। (2) रु० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400 / – प्रति व्यक्ति 16,000 / – प्रति व्यक्ति	9,600 / – प्रति व्यक्ति
गम्भीर रूप से घायल	1,00,000 / – आवश्यकता है।	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रु० 5,400 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह कम से अधिक तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में। (2) रु० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400 / – प्रति व्यक्ति 16,000 / – प्रति व्यक्ति	94,600 / – प्रति व्यक्ति 84,000 / – प्रति व्यक्ति
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000 / –	शरीर के किसी अंग (लिंग) अथवा आंख / आंखों की हानि होने पर। रु० 74,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 60 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में।	74,000 / – प्रति व्यक्ति	26,000 / – प्रति व्यक्ति
पूर्ण रूप से अपंग	3,00,000 / –	रु० 3.00 लाख, प्रति व्यक्ति अपंगता के 60 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डाक्टर द्वारा किये प्रमाणन अधीन।	2,50,000 / – प्रति व्यक्ति	50,000 / – प्रति व्यक्ति
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	6,00,000 / –	4.00 लाख प्रति व्यक्ति। इसमें वे भी शामिल हैं, जो राहत अभियानों में शामिल अथवा तैयारियों संबंधी कार्य कलापों से संबद्ध हैं। यह उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अधीन है।	4,00,000 / – प्रति व्यक्ति	2,00,000 / – प्रति व्यक्ति

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्र०सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	स्थापनार्थ सहमति (CTE)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974	उत्तराखण्ड में स्थापन करने वाली इकाई/ उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service में ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नं० के द्वारा पंजीकरण किया जाता है। URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ पंजीकरण के पश्चात् CAF approval के लिए जिला उद्योग में आवेदन किया जाता है। CAF approval के पश्चात् स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑनलाईन पोर्टल ukocmms पर आवेदन किया जाता है। URL:- https://ukocmms.nic.in/ उक्त पोर्टल में आवेदन किये जाने हेतु उद्योग द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है:- 1. भूमि आवंटन पत्र 2. प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान 3. उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रक्रिया का फ्लोचार्ट 4. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) 5. प्रपोज़ल ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेज़र्स 6. जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण सुविधा एवं उसकी स्थापित क्षमता का प्रपोज़ल 7. पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि आवश्यक है। उक्त समस्त प्रपत्र अपलोड करने व फार्म पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही शुल्क को जमा किया जाना होता है। वैधता-05 वर्ष
2	संचालनार्थ सहमति (CTO)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981, जल (प्रदूषण	उत्तराखण्ड में संचालन करने वाली इकाई/ उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ संचालनार्थ सहमति (CTO) हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न

		निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016		हैं:- 1. स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति की प्रतिलिपि 2. नवीनतम बैलेंसशीट 3. पर्यावरण वक्तव्य (फॉर्म- V) 4. स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति में उल्लेखित निर्देशों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5. पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, यदि आवश्यक है।
3	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी/निजी बैडेड एवं नान बैडेड चिकित्सालय, पैथेलोजी लैब, वैटनरी चिकित्सालय, होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय, निजी क्लीनिक	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- 1. वार्षिक आख्या (फॉर्म-2) 2. लॉग बुक की प्रति 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के इन हाऊस ट्रीटमेंट एवं निस्तारण का विवरण 4. क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट की प्रति 5. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 के संचालक के साथ ईकाई का करारनामा
4	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम- 2016	उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण एवं विध्वंस का कार्य करने वाली इकाई/उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- 1. फॉर्म-1 2. संचालनार्थ सहमति की प्रति 3. जनित अपशिष्ट की मात्रा विवरण (Waste generation greater than 20 ton but less than 300 ton) 4. फॉर्म-3, वार्षिक आख्या
5	ठोस अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट	समस्त नगर निकायों	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service

	प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्रबंधन नियम-2016	को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व निस्तारण हेतु यह प्राधिकार लिया जाना है।	URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ ठोस अपशिष्ट की सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- 1. प्रोसेसिंग फैसिलिटी की पर्यावरणीय स्वीकृति 2. फार्म-3 3. फार्म-1 4. संचालनार्थ सहमति की प्रति 5. अपशिष्ट की जनित, एकत्रण, परिवहन एवं निस्तारण की मात्रा की वार्षिक आख्या
6	ई-वेस्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	ई-वेस्ट प्रबंधन नियम-2024	Recyclers, Producer, Manufacturer of E-Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित ई-वेस्ट ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprewastecpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु ई-वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में ई-वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कुल अपशिष्ट की आयात की मात्रा, पुनःचक्रण की मात्रा इत्यादि को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।
7	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Plastic Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित प्लास्टिक ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprplastic.cpcb.gov.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु प्लास्टिक वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में प्लास्टिक वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।
8	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Battery Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित बैटरी ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://www.eprbattery.cpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु बैटरी-वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में बैटरी-वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।

आवास विभाग, उत्तराखण्ड



क्र. सं.	योजना नाम का	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है:- 1. इन सीटू स्लम पुनर्विकास 2. ऋण से जुड़ी सब्सिडी ।	लाभार्थी की वार्षिक आय ₹0 तीन लाख से कम हो तथा भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास	सम्बन्धि विकास प्राधिकरणों/ आवास विकास परिषद अथवा निजी विकासकों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों से आवेदन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन फार्म पर वांछित सूचना एवं रु

योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। (संशोधित)	3.भागीदारी में किफायती आवास। 4.लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार। उक्त बिंदु 03 “भागीदारी में किफायती आवास घटक” का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है— उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास कर रहे निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को 30 वर्ग0 मी0 तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, पेयजल, आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुछ 20 परियोजनाओं में 15960 ई0डल्यू0एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रु 6.00 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रु 1.50 लाख, राज्य सरकार द्वारा रु 1.50 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रु 3.00 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को स-समय पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रु 50 हजार प्रति इकाई वी0जी0एफ0 का भी प्राविधान है।	कर रहा हो (निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा) एवं भारत आवास न हो, पंजीकरण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in/ पर होना चाहिए। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय अथवा परियोजना विकासकों-प्राधिकरणों परिषद् के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत वही लोग आवास आवंटन हेतु पात्र होते हैं, जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनको Unique identification नम्बर निर्गत हो गया हो।	5000.00की बुकिंग धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकों के कार्यालय पर प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों, नगर निकायों, कार्यालयों, तहसील कार्यालयों पर भी आवेदन लिये जाते हैं। आवेदन हेतु ब्रोशर निःशुल्क प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकों के द्वारा रेरा पंजीकरण के उपरांत उपलब्ध कराये जाते हैं। ब्रोशर/आवेदन ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/परिषद् कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, एवं बैंक तथा ब्लॉक कार्यालयों में फार्म जमा कराये जाते हैं। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटों, उत्तराखण्ड में निवास की तिथि से सम्बन्धित दस्तावेज तथा देश में कहीं भी आवास न होने संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा प्राधिकरण/आवास सम्बन्धित एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद्/प्रायोजक, एवं विकास परिषद् स्तर पर की जाती है। संवीक्षा उपरांत सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय द्वारा आवश्यक स्थलीय सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के मध्य लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन की व्यवस्था है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता पर भू-तल पर आवास आवंटित किए जाने का प्राविधान है। उक्त सूची पर लॉटरी किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है।
---	--	---	---

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण



उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण
UTTARAKHAND REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

[About Us](#) - [Acts & Rules](#) - [FAQ](#) | [Order/Notice](#) | [Registered](#) - [Defaulters](#) - [Login](#) -



WHAT'S NEW

Search project, name, Builder or Agent

Search

Advanced Search



PROJECT
REGISTRATION

Promoters/Developers
may click here to
register their project



AGENT
REGISTRATION

Agents
may click here to
register for project



COMPLAINT
REGISTRATION

Users
may click here to
register their complaints

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या भू-सम्पदा परियोजना का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में सुनिश्चित करने तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और विवाद के शीघ्र समाधान के लिए एक न्यायनिर्णायक तंत्र की स्थापना और भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों, निदेशों अथवा आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषांगिक विषयों हेतु उपबन्ध करने के लिए भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 दिनांक 25 मार्च, 2016 को प्रख्यापित किया गया। अधिनियम के समस्त प्रावधान दिनांक 01.05.2017 से लागू हुए।

उद्देश्य:—अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी, दक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापरक भूसंपदा सेक्टर का विनियमन एवं विकास तथा आवंटियों के हितों की रक्षा करना तथा इस हेतु भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करना है।

कार्य:— भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का मुख्य कार्य रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन; आवंटियों (allottees) एवं सम्प्रवर्तकों (promoters) के मध्य उपजे विवादों के कारण दर्ज शिकायतों का निस्तारण करना; अपनी वेबसाइट विकसित कर उसमें डाटाबेस संचारित करना, जिसमें जनसाधारण के अवलोकन के लिए पंजीकृत रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेंटों का विवरण हो; सम्प्रवर्तकों, रियल इस्टेट एजेंटों तथा आवंटियों हेतु अधिनियम में निर्धारित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित कराना; एवं एडवोकेसी के संवर्द्धन तथा जागरुकता सृजन के लिए समुचित उपाय करना है। भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अधिसूचित होने के उपरान्त दिनांक 28.04.2017 को उत्तराखण्ड भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली 2017, अधिसूचित की गई एवं 01 मई, 2017 से अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में लागू हो गया।

प्राधिकरण के गठन के पश्चात् से वर्तमान तक प्राधिकरण द्वारा 508 रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं 411 रियल इस्टेट एजेंट्स का पंजीकरण किया गया है। प्राधिकरण के गठन से वर्तमान तक प्राधिकरण को 1168 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 861 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। प्रमोटर/विकासकर्ता तथा आवंटी के मध्य किसी भवन, प्लॉट, अपार्टमेंट, प्लॉट इत्यादि क्रय किए जाने हेतु निष्पादित होने वाले विक्रय अनुबन्ध में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत अधिनियम में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी तथा अपीलीय अधिकरण के आदेशों/निर्देशों के प्रभावी रूप से अनुपालन कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य), नियमावली, 2017 के नियम 23 में संशोधन कर उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) संशोधन नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें आवंटियों के हितार्थ आदेशों/निर्देशों का अनुलापन सुगमता से कराया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा आम जनमानस एवं प्रमोटर/एजेंट्स हेतु शिकायत तथा पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल (<http://ukrera.org.in:8080/rerauk/>) विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी शिकायतकर्ता/आवंटी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही प्रमोटर एवं एजेंट्स के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार



हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया	आवासीय मानचित्र की स्वीकृति 15 दिन एवं व्यवसायिक मानचित्र की स्वीकृति 30 दिन प्रदान की जा रही है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों के लिए अपने निजी आवास एवं व्यवसायिक आवास की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जिसके लिए भू-स्वामी अपने घर से ही आवेदन प्रेषित कर निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृत करा सकता है।
2.	उदय ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामियों को मानचित्र स्वीकृति का लाभ मोबाईल ऐप पर उपलब्ध है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों को मानचित्र बनाने एवं स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करते हुए उदय ऐप की व्यवस्था की गयी है, जिसमें बिना शुल्क के आवासीय मानचित्र प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण आर्किटेक्ट से तैयार कराकर मानचित्र स्वीकृति में सहयोग किया जा रहा है।
3.	आवासीय निर्माण हेतु माडल मानचित्र उपलब्ध कराना	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामी को लाभ प्रदान किया जा रहा है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों के सुविधा हेतु माँडल मानचित्र प्राधिकरण वेबसाईट पर अपलोड कराये गये है, भू-खण्ड स्वामी अपने भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार माँडल मानचित्र का चयन कर सुविधा प्राप्त कर सकता है।
4.	हेल्प डेस्क	प्राधिकरण में आने वाले व्यक्तियों को प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के साथ-साथ प्राधिकरण की अन्य जनहित योजनाओं की जानकारी तथा सहायता प्रदान किया जाता है।	समस्त आगुन्तकों के लिए	प्राधिकरण में आने वाले आगुन्तकों की सुविधार्थ कोई भी व्यक्ति/हित धारक हेल्प डेस्क से सुविधा प्राप्त कर सकता है।
5.	आवासीय सुविधा 1-इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	छत रहित परिवारों के लिए आवासीय सुविधा का लाभ	राज्य के सभी निवासियों हेतु।	प्राधिकरण आवासीय ईकाईयों का चयन पंजीकरण के माध्यम से तथा आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जाता है।

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

(राज्य सफाई कर्मचारी आयोग)

उत्तराखण्ड राज्य के सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए, रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करने, उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों के निवारण, निस्तारण/ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने, किसी विभेद से उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन/उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करने आदि के लिए उत्तराखण्ड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की संरचना:-

(1) अध्यक्ष (पूर्णकालिक)-01 (एक) (2) उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक)-01 (एक)

(3) सदस्य (अंशकालिक)-05 (पांच) तक, जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति:- राज्य सरकार द्वारा ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के रूप में की जायेगी, जिनका सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकों के कल्याण, उनके पुनर्वास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण में उल्लेखनीय योगदान हो।

आयोग के कार्य:- (क) सफाई कर्मचारियों के लिए हैसियत, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना के अधीन कार्यवाही के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ख) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकार को ऐसे कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों का प्रन्वेषण करना और निम्नलिखित के न किये जाने के संबंधित मामलों को स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना:-

1. सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के बावत कार्यक्रम और स्कीमों;
2. सफाई कर्मचारियों की कठिनाईयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश;
3. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अध्यापय;
4. सफाई कर्मचारियों पर लागू किसी विधि के उपबन्ध और ऐसे मामलों के संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से परामर्श करना।

(घ) सफाई कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाईयों या निर्योग्यताओं का सामना किया जा रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट देना।

(ङ) कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा उसे निदिष्ट किये जाए।

आयोग की कार्य प्रणाली:- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अंशकालिक सदस्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों को विस्तृत दौरा करेंगे तथा सफाई कर्मचारियों उनके संघों, गणमान्य नेताओं, नोडल एंजेंसी तथा सरकारी पदाधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उनके पारस्परिक विचार तथा व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर आयोग, विचारोपरान्त अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा।

आयोग की शक्तियां:-(1) साक्ष्य लेना, प्रपत्र तलब करना, साक्षियों से बयान लेना तथा अन्य अधिकार, जो शासन द्वारा आवश्यक समझा जाये, आयोग को होंगे।

(2) आयोग को अपने कार्य सम्पादन में उपर्युक्त विहित किसी विषय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी समय राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से किसी विषय के बावत जानकारी मांगने की शक्ति होगी किन्तु किसी मुकदमे की न्यायिक जांच करने का दीवानी न्यायालय का अधिकार आयोग के पास न होगा।

शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण: आयोग में सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्केवेंजर्स से उनके अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का एक निवारक मंच है। शिकायत करने के प्रयोजनार्थ आवेदन मा0 अध्यक्ष/मा0 उपाध्यक्ष/मा0 सदस्यगणों, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड सरकार एवं सचिव, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा।

शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड
(नगर निगम, देहरादून)



नगर निगम, देहरादून

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी				
1.	व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी०एल०सी०)	1-योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थी को रूपये 2 लाख का अनुदान आवास निर्माण कार्य प्रगति के सापेक्ष किश्तवार दिये जाने का प्रावधान है। इस धनराशि में रु० 1 लाख 50 हजार भारत सरकार तथा रु० 50 हजार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 2-मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 458/2022 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने पर घरेलू साज-सज्जा हेतु रु० 5 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता मानक हैं:- 17 जून, 2015 से पूर्व उस शहर में निवासरत होना चाहिए, जिससे लाभ प्राप्त करना चाहता है। - आवेदक का स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में घर नहीं होना चाहिए। (घर का आशय सभी मौसम में रहने योग्य इकाई से है) - परिवार की वार्षिक आय रु० 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। - किसी भी अन्य केन्द्र/राज्य/बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया हो। - विधिक भू-स्वामित्व का भू-खंड अथवा कच्चा आवास/कमजोर आवासीय स्थिति होना आवश्यक है, जिस पर पक्का आवास निर्माण करना चाहते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/परिवार अपनी आवास माँग एवं धारित पात्रता के अनुसार नगर निकाय कार्यालय में आकर निम्न दस्तावेज / विधिक भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख के साथ निःशुल्क आवास माँग दर्ज करा सकते हैं। - पहचान पत्र हेतु पूरे परिवार आधार कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए। - दिनांक 17 जून, 2015 से पूर्व शहर में रहने का प्रमाण (यथा बिजली का बिल/पानी/टेलीफोन बिल, वोटर आई०डी०, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट अथवा अन्य प्रमाणिक अभिलेख) - बैंक खाता लाभार्थी परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए, वयस्क महिला सदस्य न होने पर पुरुष सदस्य के नाम से होना चाहिए। - विधिक भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख (रजिस्ट्री/खसरा खतौनी/पट्टा इत्यादि) की प्रमाणित प्रति जिसका भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन किया जाना। - वैध आय प्रमाण-पत्र अथवा रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषित आय। - जाति प्रमाण पत्र/बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति/दिव्यांग प्रमाण पत्र।

				7. पात्रता मानक के आधार पर रु0 10 के स्टाम्प पेपर का नोटराईज्ड शपथ पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करना:- ➤ नगर निकाय क्षेत्र में 17 जून, 2015 अथवा उससे पूर्व से निवासरत है। ➤ उसके स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में पक्का आवास नहीं है। (लाभार्थी परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र अथवा पुत्रियों से है) ➤ परिवार की वार्षिक आय रु0 3 लाख से अधिक नहीं है। ➤ उसके द्वारा किसी भी अन्य केन्द्र/राज्य/बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। 8. उक्त अभिलेखों/दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन कर लाभार्थी चयन किया जाता है। जिसका विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी की अधिकारिक वेबसाइट www.pmaymis.gov.in पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाता है। पोर्टल पर आवास मॉग दर्ज कर सर्वे कोड जारी किया जाता है। जिसको पात्र लाभार्थियों की सूची के साथ संकलित कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया है।
--	--	--	--	--

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)				
2.	स्वतः रोजगार कार्यक्रम	स्वतः रोजगार कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्र में लाभार्थी अपनी और परिवार की आर्थिकी को सशक्त करते हुए अपनी आजीविका का सम्वर्द्धन करता है। स्वतः रोजगार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को ₹0 2.00(लाख) तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। स्वतः रोजगार कार्यक्रम के लाभार्थी को ब्याज पर सब्सिडी देने का प्राविधान है। जिसमें 7 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा तथा अवशेष भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। स्वतः रोजगार कार्यक्रम में लाभार्थी अपना नया रोजगार एवं रोजगार में अभिवृद्धि भी कर सकता है।	नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत लाभार्थी इस योजना हेतु पात्रता रखता है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय भारत सरकार के मानकों के अनुसार ₹0-3.00 (लाख) से कम होनी चाहिए।	स्वतः रोजगार कार्यक्रम निकाय स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवेदन पत्र पर लाभार्थी द्वारा कमशः आधार कार्ड, आय-प्रमाण या स्वघोषित 10 ₹0 के शपथ पत्र (पूर्व में किसी भी बैंक से ऋण ना लिया हो), लाभार्थी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की परियोजना रिपोर्ट अनुमानित 2.00(लाख) तक, 01 पासपोर्ट साईज की फोटो, पते हेतु राशनकार्ड या बिजली का बिल, बैंक पास बुक, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छाया प्रति, आवेदन पत्र पर संलग्न कर नगर निकाय में जमा करना होगा। निकाय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क की जाती है। स्वतः रोजगार कार्यक्रम में आवेदन पत्रों का परीक्षण निकाय स्तर पर किया जाता है। स्वतः रोजगार कार्यक्रम के ऋण आवेदन पत्र को नगर निकाय द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के सामने प्रस्तुत कर टास्क फोर्स द्वारा आवेदन पत्रों को लाभार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों एवं लाभार्थी से वार्ता कर परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात लाभार्थी का ऋण आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक को निकाय द्वारा भेजा जाता है।
3.	स्वयं सहायता समूह	नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब महिलाओं को योजना के तहत लाभ दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक समूह को एक बार में ₹0-10000/- की धनराशि दी जाती है। समूहों द्वारा बैंकों से ऋण में माध्यम से महिलाओं की	स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु लाभार्थी शहरी निकाय का होना चाहिए। आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट साईज की फोटों एवं परिवार की वार्षिक आय ₹0 3.00(लाख) से कम होनी चाहिए।	स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु नगर निकाय से योजना से सम्बन्धित कर्मचारी वार्डों में जाकर महिलाओं के साथ मिलकर सामूहिक बैठक करते हैं। बैठक के उपरान्त महिलाओं को समूह गठन हेतु प्रेरित करते हैं। उसके उपरान्त स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। गठन के पश्चात् समूह का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जाता है। जिसमें समूह की महिलाएं मासिक बचत

		आजीविका सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। समूहों को स्वरोजगार अपनाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।		जमा करती है। समूह की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। बैंकों के माध्यम से सी0सी0एल0 लिमिट के तहत स्वरोजगार हेतु कार्यवाही नगर निकाय स्तर से की जाती है।
4.	शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग।	रैन बसेरों में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है।	नगर निकाय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहता हो वो व्यक्ति रैन-बसेरे में रह सकता है।	नगर निकाय के अन्तर्गत बने रैन बसेरों में रहने/ठहरने हेतु व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आ सकता है।
5.	प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0स्वनिधि)	पी0एम0स्वनिधि योजना के तहत उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली-2014 के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब परिवारों जो ठेली, फड एवं पटरी, चलते फिरते, ठेला गाड़ी, सिर पर टोकरी पर सामान या चलती बस में सामान बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा योजना को संचालित किया गया था।	पी0एम0स्वनिधि योजना के अन्तर्गत नगर निकाय द्वारा जो भी लाभार्थी ठेली, फास्टफूड, फड लगाकर, सब्जी की ठेली, पटरी, नाई, मोची, ठेला गाड़ी एवं साईकिल टोकरी पर सामान या चलती बस में सामान बेच कर जीवनयापन करने वाले आदि लोग इसके पात्र हैं।	पी0एम0स्वनिधि योजना को भारत सरकार के एम0आई0एस0पोर्टल पर ऑन लाईन pmsvanidhi.mohua.gov.in पर भी लाभार्थी स्वयं भी आवेदन कर सकता है। तथा फेरी व्यवसाय द्वारा आवेदन नगर निकाय स्तर पर भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र हेतु जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट साईज की फोटों, बैंक पास बुक की छाया प्रति एवं आधार लिंक मोबाईल न0 की आवश्यकता होती है। नगर निकाय द्वारा लाभार्थी के आवेदन पत्र का परीक्षण कर पोर्टल के माध्यम से बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी को कार्य करने हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में प्रथम बार 10000/- द्वितीय बार 20000/- एवं तृतीय बार 50000/- दिये जाते हैं।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण				
6.	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र जन्म तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। जो शिशु का सर्वप्रथम जन्म का मूल प्रमाण है, इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में, शिशु के उम्र को प्रमाणित करने, स्कूल में दाखिला के	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) में जन्मे समस्त व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो इसके लिए भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) जन्म पंजीकरण एवं जन्म-प्रमाण पत्र बनाने हेतु पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणि सरकार पोर्टल https:// DC. CRSORGI. GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन

		दौरान, छात्रवृत्ति के हेतु, परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	करना होगा/कर सकता है। बच्चे के जन्म होने पर, जन्म होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, एं एन एम/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मुहर के साथ), माता पिता का आधार कार्ड, आवेदन के दौरान प्रस्तुत करने होंगे आवेदन के उपरांत सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत एवं सही पाए जाने पर निर्धारित 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका नगर निकाय द्वारा जन्म पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क ₹0 5/- प्रति कापी देय होगा। बच्चे के जन्म होने के 01 वर्ष के अन्दर जन्म की सूचना हेतु अभिभावक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- जच्चा बच्चा कार्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म सं० 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क ₹0 5/-, विलम्ब शुल्क ₹0 5/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क ₹0 5/-, कुल ₹0 15/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा। 01 वर्ष के उपरांत जन्म की सूचना हेतु अभिवाहक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रुपये 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र, जच्चा बच्चा
--	--	---	--

				कार्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे- बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म सं0 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क रु0 7/-, विलम्ब शुल्क रु0 10/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/-, कुल रु0 22/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
7.	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है, इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमिनी दस्तावेजों में नाम हटाने एवं अन्य पैतृक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) में मृत्यु हुये व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो इसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्रांतर्गत) मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु-प्रमाण पत्र बनाने हेतु अभिभावक/ आवेदक को अपणि सरकार पोर्टल https://DC.CRSORGL.GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कोमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा/कर सकता है। मृतक के मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड एवं फोटो, शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत एवं सही पाए जाने पर निधारित 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका नगर

				निकाय द्वारा मृत्यु पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/- प्रति कॉपी देय होगा । मृतक के मृत्यु होने के 01 वर्ष के अन्दर मृत्यु की सूचना हेतु अभिवाहक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना, शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद की मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहां से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रु0 5/-, विलम्ब शुल्क रु0 5/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/-, कुल रु0 15/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा । 01 वर्ष के उपरांत मृत्यु की सूचना हेतु अभिवाहक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रुपये 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2), शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद की मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहां से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति । मृत्यु के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे- बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, अन्य प्रपत्र जो
--	--	--	--	---

				जॉचकर्ता द्वारा वांछनीय हो उसकी छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रु0 7/-, विलम्ब शुल्क रु0 10/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/-, कुल रु0 22/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
8.	अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम, रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति अथवा पासपोर्ट की छायाप्रति एवं रु0 2/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
9.	अनुपलब्धता मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम, रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद कि मूल प्रति अथवा छायाप्रति, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं रु0 2/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
10.	सम्पत्ति कर संग्रह	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी जिनके भवन या भूमि नगर निगम सीमा में स्थित है।	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) होनी चाहिए।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन nndonline.in पर आवेदित। सर्वप्रथम प्रथम बार भवनकर जमा कराने वाले स्वामियों/अध्यासियों द्वारा नगर निगम देहरादून द्वारा निर्धारित स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर उसमें संलग्नक के तौर पर खतोनी, विक्रय पत्र, दानपत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान आदि। एम0डी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति आदि संलग्न कर स्वयं भवनकर का आंकलन कर कार्यालय में जमा कराया जाता है। कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वकर निर्धारण प्रपत्र को स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति उपरान्त भवनकर स्वामी/अध्यासी अपनी सम्पत्ति का

				भवनकर ऑनलाईन nndonline.in site पर जाकर जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सम्पत्ति स्वामी जिनके पूर्व से ही स्वकर निर्धारण प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड है उपरोक्त ऑनलाईन साइट पर जाकर जमा करा सकते हैं।
11.	सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्र अविवादित/विवादित (आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	1. विक्रय पत्र/दानपत्र/लीज डीड (35 वर्ष से अधिक) के आधार पर उक्त प्रपत्र की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करते हुए 2. उत्तराधिकारी के आधार पर अ. वारिसान/उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र ब. मृत्यु प्रमाण-पत्र स. आवेदन कर्ता शपथ पत्र समस्त वारिसानों के पता सहित मय फोटो नोटराईज 3. वसीयत के आधार अ. वसीयत की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. मृत्यु प्रमाण-पत्र स. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र ड. शेष वारिसों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान पते सहित मय फोटो नोटराईज 4. पारिवारिक बंटवारे के आधार पर अ. नोटरी से प्रमाणित, पारिवारिक बंटवारा सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत/अनुबंध के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र स. शेष वारिसों का वर्तमान पता स्टाम्प पेपर पर। 5. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर अ. मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन nndonline.in पर आवेदित।

			6. नीलामी सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति ब. आवंटन कर्ता का शपथ पत्र 7. सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर अ. अधिग्रहण से सम्बन्धी प्रपत्र ब. आवेदन पत्र	
12.	कर निर्धारण सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराये।	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका भवनकर बकाया न हो।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में आवेदन के उपरान्त। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को सर्वप्रथम 10 रु० के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन के उपरान्त नगर निगम देहरादून के द्वारा सेवा हेतु निर्धारित शुल्क रु० 100/- की रसीद जारी की जाती है। रसीद जारी होने के 02 दिवस के भीतर आवेदक को कर निर्धारण सूची की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाती है।
13.	उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र (जांच आख्या)	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना- 29/XXXVI(3)2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी 2019 के अनुपालन में उक्त अध्यादेश की धारा-3 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु शासनादेशानुसार निम्न शर्तों को पूर्ण करना होगा- 1. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों को सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु 08.00 लाख से कम हो आरक्षण के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित है। परिवार की आय में सभी स्रोतों में अर्थात् वेतन कृषि व्यवसाय पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। 2. परन्तु यह कि जिनके आय या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर	पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को प्रमाण पत्र।

			वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :- (1) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक। (2) आवासीय भवन 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक, निर्मित क्षेत्रफल। (3) अधिसूचना नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड। (4) अधिसूचना नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अलावा अन्य क्षेत्रों में 250 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड। (5) सम्पूर्ण भारत में किसी भी अन्य राज्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु प्रमाण पत्र नहीं बनवाने का शपथ पत्र।	
14.	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनको शहरी क्षेत्र में x,y,z श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता का लाभ मिलता है।	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु भूमि/सम्पत्ति सम्बन्धित दस्तावेज (फर्द,रजिस्ट्री) या नगर निगम की सम्पत्ति कर की रसीद /वार्षिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड (जिसके पास जमीन है), किरायानामा, बिजली,पानी का बिल, (सम्पत्ति,स्वामी/आवेदक) एवं विभागीय परिचय पत्र शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदकों की जाँच उपरान्त 15 दिन में प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

पेयजल विभाग- उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम



क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) (संशोधित)	घरेलू संयोजन से आच्छादित कर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।	इसलिए ग्रामीण पेयजल उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मानदण्ड नहीं है।	ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण के दौरान अथवा निर्माण उपरान्त प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जल संयोजन हेतु संयोजन शुल्क रु० 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रु० 25.00 विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराकर घरेलू जल संयोजन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ रु० 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ एवं विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड), वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी पहचान अभिलेख में से किसी एक की

				स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होती है। आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा अभिलेखों की जांचोपरान्त 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पेयजल एक जीवनदायिनी मूलभूत सुविधा/अति आवश्यक सेवा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मानदण्ड नहीं है और न ही उपभोक्ता के चयन हेतु कोई चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।
2.	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	संयोजन शुल्क रु0 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रु0 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में चयनित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा राज्य के ऐसे 15 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा कराया गया है, में निवासरत परिवार सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आईडी0 कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राइविंग लाईसेन्स बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आईडी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदन संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यक नहीं है।) रु0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जहाँ पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र, लीज पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र (फर्द), जमीन का पट्टा, वोटर आईडी0 कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र किरायेदार अनुबन्ध राशन कार्ड बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी, विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु जाति/अनु0 जनजाति/निराश्रित/भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवायें/विभाग का कार्मिक है, तो उसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे 07 अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया गया है, उसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा भी जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत पेयजल संयोजन दिये जाने का प्राविधान है।

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड



क्र.सं.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	अरायज नवीश लाईसेंस	कलेक्ट्रेट व तहसील कार्यालयों में फरियादियों के अनुरोध पर, उनके प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे आंशिक शुल्क लेकर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो, लिखना पढ़ना जानता हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है, जिसमें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “अरायज नवीश लाईसेंस” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य :-निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी /प्रभारी अधिकारी द्वारा

				आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के अंदर अरायज नवीश लाईसेंस जारी किया जाता है।
2	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस पर स्टाम्पों की विक्री कर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है, जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य :-निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 20 कार्य दिवस के अंदर लाईसेंस जारी किया जाता है।
3	साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस	साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस लेकर व्यवसाय कर जीविकोपार्जन/धनोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो व साहुकारी व्यवसाय की हैसियत रखता हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “साहुकारी लाईसेंस” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य :-निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित साहुकारी पंजीयक/अपर जिलाधिकारी द्वारा 10 कार्य दिवस के अंदर साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस निर्गत किया जाता है।
4	उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र	अल्पसंख्यकों हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ हेतु।	राज्य का मूल निवासी अल्पसंख्यक(मुस्लिम/सिक्ख/ईसाई/बौद्ध व जैन समुदाय में से किसी एक समुदाय का हो)	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते

				समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है :- अनिवार्य: —उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवास का प्रमाण, उद्घरण खतौनी की प्रति 1989 से पूर्व की, परिवार रजिस्टर की प्रति अथवा उत्तराखण्ड में जन्म का प्रमाण पत्र। जांचोपरान्त नियमानुसार पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
5	तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त किया जाना	पूर्व जारी प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त कर सही प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	आवेदक के नाम पूर्व जारी प्रमाण पत्र जिसमें टंकण त्रुटि दुरस्त की जानी है, के सम्बन्ध में पूर्व में किये गये आवेदन व उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेज के आधार पर ही टंकण त्रुटि दुरस्त की जा सकेगी।	जिस पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उसी के स्तर से प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि को दुरस्त किया जाता है। टंकण त्रुटि संज्ञान में आने पर या आवेदक द्वारा टंकण त्रुटि संज्ञान में लाने पर 05 कार्य दिवस के अंदर संशोधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
6	राजस्व अभिलेखागार /न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण	निजी जानकारी अथवा अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में सुविधा।	आवेदक के आवेदन पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण कराया जाता है।	अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण की सुविधा आवेदक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि पर अथवा अपरिहार्य स्थिति में दूसरे कार्य दिवस पर उपलब्ध करायी जाती है। यह सुविधा ऑनलाइन नहीं है। इस हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार के समक्ष आवेदन करना होता है।
7	लीज नवीनीकरण	किसी एक समयावधि के लिए सशुल्क स्वीकृत लीज को अग्रेत्तर वर्षों के लिए नवीनीकृत करना।	राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत भूमि से संबंधित लीज की अवधि समाप्त होने पर स्वीकृत लीज में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत लीज का नवीनीकरण किया जाता है।	निर्गत लीज की शर्तों के अंतर्गत लीज नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन के साथ स्वीकृत लीज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन की जिलाधिकारी के स्तर पर जांचोपरान्त स्वीकृत लीज को अग्रेत्तर वर्षों के लिए नवीनीकरण की दशा में लीज भूमि का वर्तमान दरों/लीज शर्तों के अंतर्गत निर्धारित नजराना जमा कराते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर नवीनीकरण स्वीकृति प्रदान कर सम्बन्धित अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी के द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है। यह सेवा ऑनलाइन नहीं है। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्य दिवस के अंदर सम्बन्धित जिलाधिकारी की स्वीकृति से अपर जिलाधिकारी द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड— उत्तराखण्ड परिवहन निगम



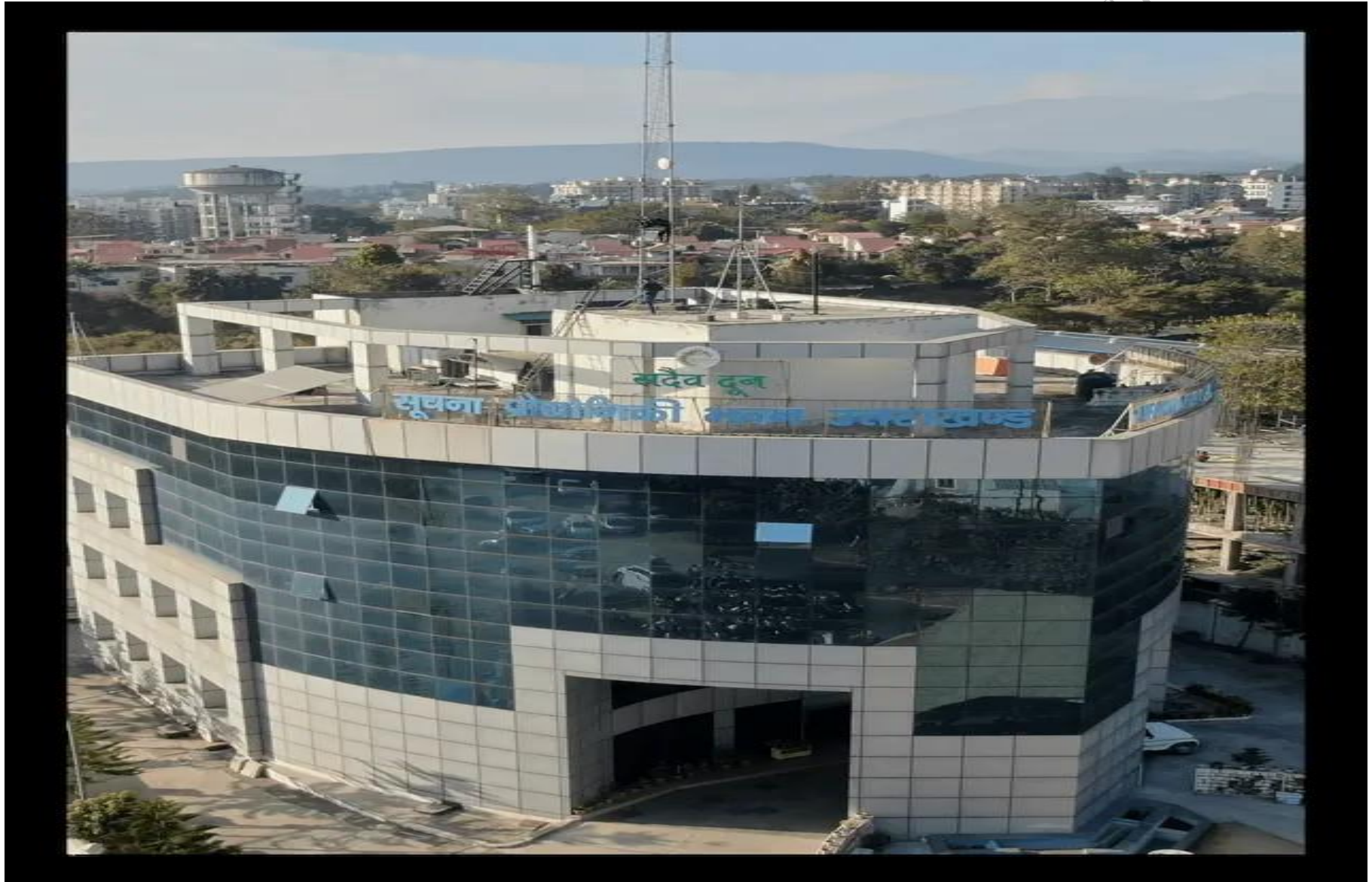
विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण: —

क्र.सं.	विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों जिनको निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है।	यात्रा का आधार	अनुमन्य छूट
1	उत्तराखण्ड से निर्वाचित राज्यसभा लोकसभा के सदस्य	शासन से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
2	उक्त के एक सहवर्ती	—	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)
3	उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क ।
4	उक्त के एक सहवर्ती	—	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)

5	उत्तराखण्ड विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
6	उक्त के एक सहवर्ती	—	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
8	उक्त के एक सहवर्ती	—	पूर्णतः निःशुल्क
9	दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाएं।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
10	उक्त के एक सहवर्ती	—	पूर्णतः निःशुल्क
11	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के समस्त उत्तराधिकारी (विवाहित/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
12	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
13	मान्यता प्राप्त पत्रकार	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत परिचय पत्र (प्रेस मान्यता कार्ड)	पूर्णतः निःशुल्क
14	40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (UDID Card)	निगम किराया निःशुल्क (यात्रीकर / बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा, धनराशि देय होगी)
15	निम्नांकित श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक सहवर्ती अनुमन्य होगा:- (क) जो पूर्ण रूप से अंधे हों, या अल्पदृष्टि हों (लो विजन) से ग्रस्त हों। (ख) जो पूर्ण रूप से मूक बधिर हों (ग) जिनके एक हाथ या एक पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों। (घ) जिनका एक हाथ या पैर अथवा	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।	निगम किराया निःशुल्क (यात्रीकर / बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा धनराशि देय, होगी)

	दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से अंपग (पैरालाईज्ड) है। (ड) जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हों। (च) जो मानसिक रूप से रूग्ण हों।		
16	छात्राओं के लिए	प्रदेश के सभी छात्राओं को विद्यालय/महाविद्यालय/चिकित्सा/तकनीकी शिक्षण संस्थान के परिचय पत्र के आधार पर जिसे नजदीकी डिपो के स0म0प्र0 द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया हों।	केवल शैक्षणिक दिवसों में शिक्षण संस्थान तक जाने-आने के लिए। (एक ही बस में निरन्तर यात्रा मार्ग में यदि उत्तर प्रदेश का भू-भाग भी पड़ता है तो उस पर भी निःशुल्क यात्रा देय होगी।)
17	वरिष्ठ नागरिक	प्रदेश के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों (महिला व पुरुष) को फोटोयुक्त पहचान पत्र/ आयु प्रमाण -पत्र /आधारकार्ड /पैन कार्ड/वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/पेंशन पट्टा अथवा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र जिसमें आयु का उल्लेख हो।	उत्तराखण्ड की सीमा में एवं यदि यात्रा का प्रारम्भिक स्थान एवं गन्तव्य स्थान के मध्य अन्य राज्य का अंश पड़ता है तब भी निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी।
18	राज्य आन्दोलनकारी।	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत राज्य आन्दोलनकारी परिचय पत्र	निःशुल्क प्रदेश के अन्दर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने में यदि अन्य राज्य का भू-भाग पड़ता है तो उस पर भी)
19	मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना, 2023।	चयन संस्था (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र तथा उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र	किराये पर 50 प्रतिशत की छूट (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने व अन्य राज्य से भी (उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होने अनिवार्य है।)
20	दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना।		दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, नानक मत्ता एवं रीठा-साहिब, कलियर शरीफ (हरिद्वार), ताडकेश्वर (पौड़ी) कालीमठ (रूद्रप्रयाग) जागेश्वर (अल्मोडा) गैराड गोलू (बागेश्वर) बैजनाथ (बागेश्वर) गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) महासू देवता हनोल, (देहरादून) कालिका (पौड़ी गढ़वाल,) ज्वालपा (पौड़ी गढ़वाल,) आदि धार्मिक स्थलों की यात्रायें भी निः शुल्क करायी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडीओ, उत्तराखण्ड)



सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ (संशोधित)	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपणि सरकार पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसें, अनुमतियों एवं पेशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जांच कर सकता है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक के प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है। तो विभागीय अधिकारी, रिजेक्ट अथवा आपत्ति के साथ वापस कर देता है परंतु लम्बित नहीं रख सकता है। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान समय में नागरिकों को Whatsapp के माध्यम से आवेदन में पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही आवेदन की स्थिति व प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था उपलब्ध की गई है तथा Whatsapp के माध्यम से अपणि सरकार पोर्टल पर दी जाने वाली समस्त विभागों की सेवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है। Whatsapp के माध्यम से ग्राहक सहायता केन्द्र का विवरण नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।	राज्य का कोई भी नागरिक जो सेवायें पोर्टल में उल्लिखित हों, उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है। 1. वर्तमान समय में 73 विभाग की 886 सेवाएं नागरिकों को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। 2. जो लाभार्थी DBT Scheme के अन्तर्गत आते हैं, वे अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। 3. वर्तमान समय में CSC के द्वारा नागरिक Doorstep Helpline No 18009110007 के	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जिसका उपयोग कर आवेदक पोर्टल पर लॉगइन कर सकता है। किसी भी विभाग से संबंधित सेवा लेने हेतु संबंधित विभाग एवं सेवा का चयन कर उस सेवा हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक आवेदन संख्या जारी हो जाता है, जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। आवेदक आवेदन संख्या का उपयोग कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है। आवेदन करने के उपरांत विभागीय कार्मिक /अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लॉगइन करके अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकता है।

		नागरिकों द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए e- mail e-helpdesk@uk.gov.in के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज कर सकते हैं। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों में संशोधन की व्यवस्था दी गई है। जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता स्वयं के नाम में, पिता, माता, मोबाईल नंबर में संशोधन कर सकता है।	माध्यम से अब घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जिसके लिए नागरिकों को Doorstep हेल्पलाइन नम्बर पर फोन कर घर पर ही सभी आवश्यक संबंधित दस्तावेज जमा कर आवेदन करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।	
2.	ड्रोन नीति 2023	1.राज्य के कठिन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से सेवा वितरण और शासन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। 2.ड्रोन तकनीक में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना। 3.ड्रोन सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (DSDM) और ड्रोन आधारित सेवाओं (Des) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। 4.उद्योग, प्रशासन और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ड्रोन तकनीक से राज्य को अधिकतम लाभ पहुंचाना। 5.ड्रोन सेवा प्रदाताओं, ड्रोन निर्माताओं, ड्रोन निवेशकों, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप, उत्तराखण्ड के युवाओं, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नीति के तहत लाभ मिलेगा। 6.ड्रोन के उपयोग के लिए पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) ढांचे का विकास किया जाना। 7.ड्रोन निर्माण और ड्रोन से संबंधित सेवाओं में उत्कृष्टता	ड्रोन सेवा प्रदाता,ड्रोन निर्माता, ड्रोन उद्योग के निवेशक, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप उत्तराखण्ड के युवा, विश्वविद्यालय, आई.टी.आई. ,सरकारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज	आवेदन राज्य के आईटी विभाग के अंतर्गत संस्था आई. टी.डी.ए. के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आईटीडीए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

		प्राप्त करने वाले स्टार्टअप/कंपनियों/व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना। 8.ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना। 9.विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ।		
3.	आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेंटर	इन्क्यूबेशन सेंटर नये स्टार्टअप इकाइयों को उनके व्यवसाय को विकसित करने और उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। स्टार्टअप और आई.टी., मेडिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को उनके नवीन पहल व विचारों व वेंचर के विकास में यह केन्द्र सहायता करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप को कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाता है साथ ही केंद्र का मिशन स्टार्टअप को इंटरनेट, चुनिंदा चिकित्सा उपकरण, बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। इस केंद्र का मिशन नए स्टार्टअप और उनकी जरूरतों के अनुसार सहयोग करना है। स्टार्टअप को आगे बढ़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना है। आई.टी. इन्क्यूबेशन सेंटर विशेष रूप से शुरुआती चरणों में व्यवसाय और तकनीकी सेवाओं को प्रारंभिक स्टेज में स्टार्टअप कंपनी को प्रयोगशाला सुविधाओं, सलाहकार, नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को जोखिम से मुक्त करने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।	उत्तराखंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप, आई.टी. स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, (विशेषतया कौशल विकास, आईटी और ए.आई, यात्रा और पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक)	स्टार्टअप टीम सेंटर मैनेजर से संपर्क करेगी। स्टार्टअप टीम में 1 से 3 सदस्य शामिल हो सकते हैं। स्थान 1 से 2 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा (आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है)। स्टार्टअप उनकी आवश्यकताओं के लिए ई-मेल (diritda-uk@nic.in) पर भेजेगा। प्रबंधक स्टार्ट-अप की जरूरतों को आवंटित करेगा। स्टार्ट-अप टीम कार्य की उचित प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी। स्टार्ट-अप को अपनी कंपनी का पंजीकृत नंबर हार्ड कॉपी या सॉफ्टकॉपी में तथा अन्य प्रमाण पत्र जैसे आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण जमा करना होगा। अभिलेख पूर्ण होने पर जांच के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।
4.	मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल https://cm.references.uk.gov.in/	माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों/सन्दर्भों को डिजिटली ऑनलाईन प्रेषण से सभी सन्दर्भों को त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा जिससे आम-जन से जुड़े सन्दर्भों में कार्यवाही से जनता को राहत प्रदान होगी।	राज्य के समस्त माननीय सांसद, मा.मंत्रीगण, मा. विधायक एवं समस्त	वर्तमान में माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्कैन कर पोर्टल के माध्यम से प्रेषण की व्यवस्था संचालित है, जिसमें अधिक समय लगने के साथ-साथ महानुभावों द्वारा बार-बार

			जनमानस।	कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा जाता है, जिसको डिजिटली सुविधा का स्वरूप प्रदान कर एडवांस पोर्टल cmreferences.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों यथा सम्बन्धित सचिवों, आयुक्तों, अपर सचिव एवं जिलाधिकारियों को ऑनलाइन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे उक्त पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही/प्रगति को माननीय महानुभावों द्वारा स्वयं समय-समय पर प्रदत्त आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है।
5.	मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	सुशासन सरलीकरण एवं समाधान के ध्येय पर अग्रसारित होते हुये तहसील दिवसों में प्राप्त होने वाली समस्त जनशिकायतों के अनुश्रवण हेतु डिजिटल व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जिससे जन शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता आयेगी एवं त्वरित गति से समाधान किया जा सकेगा।	राज्य के समस्त नागरिक।	तहसील दिवसों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को डिजिटली प्रेषित किया जायेगा, एवं शिकायतों पर हुयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति को जनता द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त जनपदों में होने वाले तहसील दिवसों एवं उक्त शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा सकता है, साथ ही तहसीलों में इन्टरनेट बाधित होने की दशा में शिकायतों का पंजीकरण offline भी किया जा सकता है।

लघु सिंचाई विभाग



PROGR

लघु सिंचाई विभाग

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
केन्द्रपोषित योजना				
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा हेतु किये जाने वाले कार्य:- 1. पाईपलाइन/गूल, 2. हौज/जियो लाईन टैंक 3. सोलर पम्पसेट 4. छोटे गेटेड वियर	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन के अनुसार:- (i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्राम के 05 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत कलस्टर निर्मित होगा, जिनका कमाण्ड एरिया 20.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (ii) एकल योजना की दशा में कमाण्ड एरिया 10.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (iii) योजना की लागत रु० 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iv) योजना का लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक होना चाहिए।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षणोंपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहाकार समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं अथवा व्यक्तिगत भूजल सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- 1. सोलर चलित पम्पसेट,	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन के अनुसार:- (i) सामूहिक योजनाओं के निर्माण हेतु कमाण्ड एरिया 5 हैक्टेयर उपलब्ध होना चाहिए। (ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से

		2. विद्युत चलित पम्पसेट	कमाण्ड एरिया सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत हो।	परीक्षणोंपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहाकार समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
केन्द्रीय सेक्टर योजना				
3	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी0एम0-कुसुम) (50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश, 20% कृषक अंश)	योजना में कृषकों को सोलर पम्पसेट की लागत का 80% अनुदान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तथा सोलर पम्पसेट की लागत का 20% अंश कृषक द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषक द्वारा संचालित डीजल पम्पसेट को 7.5 एच0पी0 तक क्षमता वाले सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे डीजल आदि पर आने वाले व्यय में कमी होती है तथा उत्पादन लागत कम होने से कृषकों की आय में वृद्धि होती है।	MNRE भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार:- (i) कृषक सोलर पम्पसेट की लागत का 20 प्रतिशत कृषक अंश देने हेतु सहमत हो। (ii) कृषक के पास अपनी बोरिंग उपलब्ध हो। (iii) सिंचाई हेतु डीजल पम्पसेट का उपयोग कर रहे हो। (iv) सोलर पम्पसेट के साथ USPC लगवाने के इच्छुक कृषक उक्त कार्य के शतप्रतिशत भुगतान हेतु सहमत हो।	इच्छुक कृषक द्वारा जनपद में विभाग के खण्ड/उपखण्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वेक्षण उपरान्त उपयुक्तता की स्थिति में सोलर पम्पसेट का 20 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि सम्बन्धित कार्यालय में जमा की जायेगी। कृषक अंश प्राप्त होने के उपरान्त विभाग में सूचीबद्ध/चयनित फर्मों को सोलर पम्पसेट की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है। तथा स्थल सर्वेक्षण के उपरान्त सोलर पम्प की स्थापना की जाती है।
राज्य सेक्टर				
4	नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किये जाने वाले कार्य:- 1. सोलर पम्प सिंचाई योजना 2. पाईपलाईन/गूल 3. हौज/जियो लाईन टैंक	(i) योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) ऐसी योजनाएं जो कि लाभकारी एवं आवश्यक हैं तथा जिनकी लागत रु0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हों	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से

		4. चैकडेम निर्माण (पर्वतीय क्षेत्र) 5. छोटे गेटेड वियर (मैदानी क्षेत्र)	सम्मिलित की जाती हैं। (iii) चैकडेम निर्माण, प्राप्त प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर किया जाता है।	परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त मुख्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है, नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
5.	सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई पर स्थित ऐसे कृषि भूमि पर जहाँ गूल/पाईप लाईन से सिंचाई उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, उन स्थानों पर सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।	(i) योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो। (iii) योजना का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र हेतु किया जाना है।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
6.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों की स्थापना की जाती है।	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना स्थल आर्टीजन कूप निर्माण हेतु उपयुक्त हो। (iv) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (v) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0	सामान्यतः आर्टीजन निर्माण हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के कुछ चयनित क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल के कुछ क्षेत्र ही उपयुक्त हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से प्रस्ताव खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जाती है। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का

			से अधिक हो।	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
7.	अनुसूचित जाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामूहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है:- 1. हौज, 2. पाइप लाइन/गूल निर्माण	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रु0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
8.	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामूहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है:- 1. हौज, 2. पाइप लाइन/गूल निर्माण	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रु0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण)	रजिस्ट्री किये जाने से लेखपत्र को विधिक ख्याति मिलती है। रजिस्ट्री के पश्चात् किसी अचल सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिकारों से सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक होने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षित होती है, जिससे धोखाधड़ी व जाल-फरेब से मुक्ति मिलती है।	समस्त नागरिक।	भूमि/भवन के क्रय/विक्रय हेतु क्रेता/विक्रेता रजिस्ट्री को स्वयं अथवा दस्तावेज लेखक के माध्यम से तैयार करेगा। उसके बाद विभाग की वेबसाइट eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध (PDE) के माध्यम से ऑनलाईन एण्ट्री करेगा। तथा रजिस्ट्री कराने हेतु अपनी सुविधानुसार तिथि व समय पर क्रेता/विक्रेता दो गवाहों सहित पंजीकरण के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा। रजिस्ट्री तैयार करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- • क्रेता/विक्रेता की पासपोर्ट फोटो। • क्रेता/विक्रेता एवं दो गवाहों के आधार कार्ड/पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र। • भूमि/भवन का पूर्ण विवरण भौगोलिक स्थिति के अनुसार। • भूमि/भवन के साथ क्रेता/विक्रेता की फोटोग्राफ।
02	विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान करना	सरकारी दस्तावेज के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान करना।	ऐसे पुरुष (21 वर्ष) एवं महिला (18 वर्ष) जिनका विवाह राज्य	विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-marriage Module के अन्तर्गत ऑनलाईन विवरण की प्रविष्टि अंकित करेगा। तथा अपनी

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			में हुआ हो अथवा राज्य के निवासी हो।	सुविधानुसार तय दिनांक व समय पर पति-पत्नी दो गवाहों के साथ विवाह के पंजीकरण हेतु सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा। विवाह प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-• पूर्ण रूप से भरे ऑनलाईन आवेदन पत्र की दो मूल प्रतियां। • पति-पत्नी की दो पासपोर्ट फोटो। • पति-पत्नी व दो गवाहों के आधार कार्ड, शादी का कार्ड, जन्म तिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व अन्य पहचान पत्र।
03	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल का उपयोग भूमि/भवन की खरीद-फरोख्त, सरकारी कार्यालयों/बैंक लोन हेतु किया जा सकता है।	वह व्यक्ति जो किसी विलेख की प्रमाणित प्रति की वांछा रखता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Nakal के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
04	भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	वह व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी चाहता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Search पोर्टल के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए पूर्व में पंजीकृत अभिलेख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
05	रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	1. समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। 2. आर्थिक उन्नयन करना। 3. कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों में बेहतर प्रदर्शन करना। 4. राज्य की सैन्य शक्ति को महत्व प्रदान करना।	1. महिलाओं 2. निःशक्त व्यक्तियों 3. राज्य सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों 4. कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों।	1. महिला क्रेता को 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। 2. निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रु० 25 लाख (रु० पच्चीस लाख) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। 3. राज्य के सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों को 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक की छूट। 4. कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट।

रजिस्ट्रार फर्मस सोसाइटीज एवं चिट्स (वित्त विभाग)

क्र० सं०	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सोसाइटी पंजीकरण	समाज सेवा जनकल्याण एवं अन्य चैरिटेबल कार्य।	आमजन।	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट-ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर ऑन लाइन फार्म भरते के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है:- 1-ऑनलाईन पंजीकरण फार्म 2-नोटिरी के सत्यापित शपथ-पत्र 3-सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण, जैसे-बिजली/पानी का बिल/सेलडीड/खतौनी की अद्यतन प्रमाणित प्रति। 4-प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड। 5-सोसाइटी के कार्यालय के पते के भवन स्वामी की NOC /किरायानामा /लीज। 6-सोसाइटी के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत, ऑनलाईन लिंक के माध्यम से रु 5550 पंजीकरण फीस को जमा कराया जाना होगा।
2.	फर्म पंजीकरण	व्यावसायिक गतिविधियां	भागीदार	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट-ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर पर ऑन लाइन फार्म भरते के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है:- 1-ऑनलाईन फार्म न० 1(मूल में) 2-फार्म न० 1 के सत्यापन हेतु शपथ पत्र (मूल में) 3-फार्म के प्रधान स्थान अन्य स्थान के पते के प्रमाण बिजली/पानी/सेलडीड/खतौनी की अद्यतन सत्यापित प्रति। 4-भागीदारों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड। 5- रु 1000/-के स्टाम्प पेपर पर बनायी गयी नोटरी सत्यापित भागीदारी डीड की प्रति, जो भागीदारों के मूल हस्ताक्षरों से सत्यापित हो। 6-फर्म के प्रधान स्थान/अन्य के स्थान के भवन स्वामी की फर्म पंजीकरण हेतु NOC किरायानामा /लीज डीड की सत्यापित प्रति। 7-फर्म के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत, पंजीकरण फीस रु 5000/- का ऑनलाईन भुगतान, पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन लिंक के माध्यम से करना होगा।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग, उत्तराखण्ड



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM)	योजना के अन्तर्गत गन्ने के साथ सहफसली खेती कराकर कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु गन्ना कृषकों को आधुनिक रूप से गन्ने की एक आंख गन्ना बुवाई, ट्रेंच विधि, रिंग विधि एवं गन्ने के साथ अन्य सहउत्पादों (सहफसली खेती जैसे :- गेहूँ, मटर, आलू, सरसों, राजमा, उरद एवं गोभी आदि) की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें फसल लागत हेतु अनुदान रू० 9000 प्रति हेक्टे० दिया जाता है।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील व गन्ने के साथ सहफसली खेती करने वाले कृषक।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से गन्ना बीज उत्पादन करना जिसमें आधार पौधशाला से बीज वितरण पर रू० 50/कु० एवं प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर रू० 25/कु०, फील्ड प्रदर्शन पर रू० 15000/हेक्टे०, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक उत्पादों के वितरण, कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। खेत प्रदर्शन पर किसानों भ्रमण कार्यक्रम, प्रचार प्रसार एवं किसानों की मृदा परीक्षण व ग्राम	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

		तथा जिला स्तर के प्रशिक्षण व अधिक उपज वाले किसानों की पुरस्कार कार्यक्रम किया जाता है।		
3.	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM)	योजना में कृषि यंत्रों को गन्ना कृषकों को (अनु0जाति, अनु0ज0जति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य बड़े 40 प्रतिशत) अनुदान राशि पर उपलब्ध कराये जाते हैं।	योजना के अन्तर्गत गन्नों कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में “पहले आओ पहले पाओ” की व्यवस्था लागू की गयी है।
4	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	1. प्रजनक बीज गन्ना उत्पादन कार्यक्रम :- गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा उनके अधीनस्थ शोध केन्द्रों के फार्म पर चलाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत गन्ने की नवीनतम प्रजातियों का प्रजनक बीज उत्पादन कराया जायेगा। गन्ना शोध केन्द्रों पर 25 प्रतिशत प्रजनक गन्ना बीज पौधशालायें शरदकालीन में एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें बसन्तकालीन में स्थापित की जायेगी। इन पौधशालाओं से गन्ना विभाग द्वारा आबंटन अनुसार बीज वितरण पर रू0 100 प्रति कु0 की दर से संस्था को अनुदान राशि दिया जाता है, जो कि जनपद की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान का 50 प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि हेतु दिया जायेगा तथा शेष बीज वितरण होने पर देय होगा। 2. आधार पौधशाला अधिष्ठापन :- आधार पौधशालाओं का अधिष्ठापन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 50/- प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000 होगी। 3. प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन :- प्राथमिक पौधशालाओं का अधिष्ठापन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 25/- प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 10000 होगी। 4. क्षेत्रप्रदर्शन :- गन्ना बुवाई की नवीनतम तकनीक से प्रदर्शन स्थापित किये जायेंगे। जिसमें गन्ना कृषकों को 0.500 हेक्टेयर के प्रदर्शन पर रू0 7500 का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

		5. गन्ना बीज यातायात एवं कटाई लदाई :-शोध केन्द्रों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को वास्तविक खर्च का शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। 6. कृषि यन्त्रों पर अनुदान :- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अनुसार गन्ने की खेती में प्रयोग होने वाले मानव चालित यंत्रों को वितरित किया जाना प्रस्तावित है। 7. गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान :- विभाग द्वारा गन्ना बीज की वास्तविक लागत के आधार पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, या तो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित किसी भी गन्ना शोध केन्द्रों से गन्ना बीज दिया जा सकता है। 8. कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण :- फसल संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए एक किसान अधिकतम ₹0 3000 प्रति हेक्टेयर के लिए ही पात्र होगा। वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹0 3000 प्रति किसान अनुदान देना है। 9. सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो-न्यूट्रियन्ट) जैविक एवं जैव उर्वरकों का वितरण :- योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने की सफल खेती एवं चीनी परता सुधार हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों जैविक एवं जैव उर्वरकों की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹0 1000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देना। 10. प्रचार प्रसार एवं किसानों की मृदा परीक्षण व ग्राम तथा जिला स्तर के प्रशिक्षणों का आयोजन कर किसानों को गन्ने की उन्नतशील खेती हेतु प्रोत्साहित करना।		
5	गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/उत्पादन में वृद्धि की योजना :-	1. गन्ना बीज बदलाव एवं प्रजातीय सन्तुलन :-गन्ना कृषकों द्वारा लम्बे समय से बोई जा रही है, (जैसे को0शा0-767, को-1148, को0शा0-97264, को0शा0-94257, व को0शा0-8436 आदि) गन्ना प्रजाति को अच्छी पैदावार व उच्च परते वाली प्रजातियों के माध्यम से प्रतिस्थापित करने की योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है, तथा अगेती प्रजाति के अन्तर्गत अन्य शीघ्र नवीनतम गन्ना प्रजाति को0पन्त0 12221, को0शा0 8272, को0 0118, को0पी0के0 5191, को0 15023, को0पी0बी0 91, को0पी0बी 92, को0पी0बी 96, को0पी0बी 98, को013035, को0लख0 9709, को0लख0 12207, को0लख0 14201, को0शा0	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

	13235, को0लख0 15201 एवं को0लख0 16202 आदि व लो-लेन्ड के लिए उच्च शर्करायुक्त शीघ्र नवीनतम गन्ना प्रजाति की व्यापक रूप से पैदावार की जा सके, जिससे गन्ने की पैदावार में वृद्धि के फलस्वरूप चीनी परता में भी वृद्धि हो सके। शोध केन्द्रों के गन्ना बीज पर सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य पर 20 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। कृषकों को मिल गेट से अधिक गन्ना बीज का मूल्य प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा, तथा कृषकों को शोध केन्द्रों से गन्ना बीज मंगाकर प्रति कुन्तल मिल गेट रेट पर एवं कटाई-लदाई व यातायात पर विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है। 2. आधार/प्राथमिक पौधशाला पर अनुदान :-कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु आधार पौधशालाधारक को गन्ना बीज वितरण पर रू0 50.00 प्रति कु0 एवं प्राथमिक पौधशालाधारक को रू0 25.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। 3. गन्ना बुवाई की नवीनतम विधियां :-गन्ना बुवाई हेतु नवीनतम ट्रैच विधि/रो-स्पेसिंग विधि अपनायी जाये जिसके अन्तर्गत गन्ना लगाने के लिए कूड से कूड की दूरी 4 फीट, गहराई 1 फीट तथा 2 आँख वाले टुकड़ों के बीच की दूरी 4 से 6 या 6 से 9 इन्च का अन्तर रखा जाये। कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों के खेतों पर शीघ्र प्रजाति, एक आँख दो आँख एवं मिश्रित खेती के 1.000 हेक्टेयर के प्रदर्शन पर 10000.00 रू0 का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। 4. खरपतवार प्रबन्धन पद्धति :-गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। 5. कीड़े एवं बीमारियों से फसल को बचाव :-गन्ना की फसल को कीट एवं रोगों से बचाव हेतु उच्चकोटि के इन्सेक्टीसाईड व पेस्टीसाईड किसानों को उपलब्ध कराने हेतु कृषि रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। 6. किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी देना :-समय-समय पर किसानों को अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की बुवाई के सम्बन्ध में तकनीकी	
--	---	--

		जानकारी प्रदान किये जाने हेतु गन्ना विकास विभाग/गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर द्वारा कृषकों/कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला स्तर पर कृषकों गोष्ठी का आयोजन कराना। 7. किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों की जानकारी देना व उपलब्ध कराना:-किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों के सम्बन्ध में समय-समय पर गन्ने की खेती में उपयुक्त उत्तम बैट्री चालित/पेट्रोल मोटर चालित स्प्रे मशीन, हैरो, कल्टीवेटर कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे। आगामी वर्षों में ड्रोन स्प्रे, ट्रैच ऑपनर आदि वितरण करने का प्रस्ताव है।		
6.	जिला योजना अ. गन्ना विकास की योजना :-	1. उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना :- अधिष्ठापित आधार पौधशालाओं पर अंकन 1000 रु0 (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 2000.00 रु0) प्रति हेक्टे0 एवं प्राथमिक पौधशालाओं पर 500 रु0 प्रति हेक्टे0 पर (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 1000.00 रु0 प्रति हेक्टे0) अनुदान दिया जा रहा है। 2.बीज/भूमि उपचार :-बीज/भूमि जनित कीटों एवं रोगों के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जमाववर्धक/मृदा उपचारक रसायनों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा। 3. पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम :-पेड़ी गन्ना फसल को कीटों एवं रोगों से बचाने के लिये इनके नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

	ब. अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	योजना के अन्तर्गत कृषकों को क्रय केन्द्र तक गन्ना ढुलान में सरलता एवं चीनी मिल को ताजे गन्ना उपलब्ध कराना। योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत लाभान्वित संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है।	भ्रमण कृषक, गन्ना समितियों/चीनी मिल।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सड़कों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा उपरान्त सड़कों का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करते हैं। तदुपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त के माध्यम से सड़क निर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। जिलाधिकारियों के अनुमोदन उपरान्त ही गन्ना विकास परिषदों में मैचिंग ग्रांट में धनराशि उपलब्ध होने पर चयनित सड़कों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत गन्ना विकास परिषदों द्वारा वहन किया जाता है। इस मद की धनराशि सहायक गन्ना आयुक्त स्तर से सड़कों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् ही शासन स्तर से अवमुक्त होगी, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत सड़कों का चयन समाज कल्याण द्वारा जारी मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा।
7.	गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	निःशुल्क गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती की जानकारी/प्रशिक्षण।	चीनी मिल एवं समितियों के परिक्षेत्रों के समस्त कृषक।	गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ग्राम स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय गोष्ठीयां की जाती हैं, जिसमें किसानों को गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती के साथ-साथ गन्ने में लगने वाले कीट रोग व उनके रोकथाम हेतु गन्ना अनुसंधानों के वैज्ञानिकों व गन्ना विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा गन्ना किसान संस्थान द्वारा राज्य एवं अन्तराज्य गन्ना शोध केन्द्रों एवं अनुसंधान केन्द्रों पर भ्रमण कार्यक्रम किया जाता है।

आबकारी विभाग



कार्य:-

1. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिये गये प्राविधान तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप ही आबकारी अनुभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुये आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। राजस्व अर्जन के साथ-साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।
2. वर्तमान आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत दिये गये नीति निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, आयात, निर्यात, बिक्री से सम्बन्धित गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है।

3. पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत, पर्यावरणीय बाध्यताओं का पालन करते हुये कृषि तथा बागवानी उत्पादों को नष्ट होने से बचाने, आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने हेतु निवेश को प्रोत्साहन, प्रसंस्करण द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करने, उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों को रोजगार के अवसर एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान आबकारी नीति में शामिल किया गया है।
4. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों में पलायन रोकने व उद्योग स्थापित करने हेतु नई आबकारी नीति में विशेष प्राविधान किये गये हैं।
5. नई आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में मदिरा व्यवसाय पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिये पूर्व में चली आ रही नीति को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है। नई आबकारी नीति का उद्देश्य मदिरा सेवन को सुरक्षित सीमा के अन्तर्गत जिम्मेदारी से रखा जाये तथा प्रदेश को मदिरा उपभोक्ता राज्य से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित होने के लिये निवेश को आकर्षित किये जाने के प्राविधान किये गये हैं।
6. नई आबकारी नीति का उद्देश्य सेवाओं के सरलीकरण, मदिरा अनुज्ञापनों के आवंटन में पारदर्शिता, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण एवं अनियमितताओं के लिये कठोर प्राविधान किये गये हैं।
7. नई आबकारी नीति में एक व्यक्ति को अधिकतम 03 मदिरा दुकानें आवंटित की गयी हैं, जो कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी आवंटन हेतु पात्र हैं।
8. पर्वतीय अंचल में उच्च गुणवत्तायुक्त बागवानी उत्पादों से निर्मित माईक्रो डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट स्थापना के प्राविधान किये गये हैं।
9. थोक मदिरा अनुज्ञापनों में निर्माता कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिये एफ0एल0-2/सी0एल0-2 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
10. पर्वतीय जनपदों में प्रीमियम ब्राण्ड के डिपार्टमेन्टल स्टोर को प्रोत्साहित करने के लिये मानकों एवं लाईसेन्स फीस में छूट देते हुये 400 वर्ग फीट व लाईसेन्स फीस को 05 लाख रुपये वार्षिक किया गया है।
11. बार लाईसेन्स की व्यवस्था को सुविधाजनक करते हुये वनडे बार, स्टार कैटेगिरी बार, सीजनल बार आदि के प्राविधान पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन के दृष्टिगत किये गये हैं।
12. वर्ष 2023-24 में रू0 4000 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 4038.69 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा वर्ष 2024-25 हेतु रू0 4439 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2024 तक रू0 1924.04 करोड़ लक्ष्य प्राप्त हो चुकी है।
13. आबकारी विभाग के मुख्यालय, समस्त जनपदीय कार्यालयों, आसवनियों, बॉटलिंग प्लांट, ब्रुवरी, मदिरा के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (दुकानों) पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार का गलत कार्य न कर सके और उन पर बराबर निगरानी रखी जा सके। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभाग में मदिरा के आयात, निर्यात एवं विक्रय के लिए ऑनलाईन परमिट की व्यवस्था की गई है।
14. आबकारी विभाग के अन्तर्गत मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग सम्बन्धी शिकायतों में अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम/संगत आबकारी नियमावली के अन्तर्गत तत्परता से आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के प्राविधान के तहत अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय पर आबकारी विभाग का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर-18001804253 एवं कंट्रोल रूम टेलीफोन नम्बर-01352656229 है जो 24 घण्टें कार्य करता है और इसमें कोई भी आबकारी विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
15. प्रवर्तन दल एवं अपराध निरोधक क्षेत्र द्वारा समय-समय पर शिकायत एवं मुखबरी के आधार पर प्रवर्तन की कार्यवाही कर अवैध मदिरा पर प्रभावी अंकुश लगाया जाता है।
16. चैक पोस्टों पर निमित्त चैकिंग की कार्यवाही की जाती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

MENT



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ई-निविदा सह ई-नीलामी खनन पट्टा	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	निजी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी / संस्था	1. जनपदों से प्राप्त रिक्त राजस्व उपखनिज क्षेत्रों का विज्ञापितकरण। 2. निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख / प्रपत्र / शुल्क:- क- ई-निविदा प्रपत्र शुल्क रु० 20,000.00 ऑन लाईन विभागीय लेखा शीर्षक 08530-01-02-01-00 में जमा किया जायेगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में। ख आवेदन शुल्क रु० 1,00,000.00 निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक 0853-00-102-0-00 में ऑनलाईन जमा किया जायेगा। ग आवेदक का आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा कम्पनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का डी०आई०एन० के प्रमाण पत्र की प्रति, कोऑपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति। घ- आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति। ड- आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो। च- आवेदक के पैनकार्ड की प्रति। छ- आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति। ज- आवेदक के बैंक खाते का विवरण, बैंक व शाखा नाम खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति। झ-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा प्रकाशन के उपरांत निवेदित लॉट हेतु जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपने गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में स्थित खनन लॉट प्रतिभाग करता है, तो, अपने गृह जनपद के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद हेतु प्राधिकृत अधिकारी से खनन अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। ट- कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित

				प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण की प्रति कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति। ठ- किसी भी राज्य में खनन सक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी रु0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति। ड- परिवार (आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन) के सदस्यों के विरुद्ध खनन बकाया न होने के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा रु0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति। ढ- निविदादाता के द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रारूप रु0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति। त- निविदादाता “निजी व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी” के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रति। थ-नदी तल खनन स्थित खनन लॉटी/खनन अनुज्ञा/स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन का 06 माह का अनुभव प्रमाण-पत्र, जो, कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रति। द-निविदित खनन लॉट के आधार मूल्य के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि धरोहर राशि (Earnest Money) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० के रूप में, जो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक हो, की प्रति। ध-जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र (Solvency Certificate), जो आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से कम न हो, तथा फर्म/कम्पनी आदि की दशा में विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट (Balance Sheet) की प्रति जिसका टर्नओवर नेटवर्थ (Net worth) आधार मूल्य से कम न हो। या यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अद्यतन न हो, तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा, कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की विधि से अद्यतन) नीलामी बॉलीवाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। या हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।
--	--	--	--	--

				या आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से, यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है, तो, उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो), जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होंगे जमा कराये जा सकेंगे। 2-तदोपरान्त उक्त क्षेत्रों की निविदा आमंत्रित। 3 निविदा प्रपत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। 4-निविदा डाउनलोड बिक्री आरम्भ। 5-ऑनलाईन ई-निविदा जमा करना प्रारम्भ। 6-तकनीकी निविदा खोली जायेगी। 7-तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। 8-वित्तीय निविदा का परिणाम घोषित करते हुए सफल निविदादाता एच-1 घोषित किया जायेगा। 9-सफल निविदादाता एच-1 के पक्ष में सीमाबन्धन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक वांछित अनुमतियाँ हेतु निदेशालय से आशयपत्र निर्गत किया जायेगा। 10- आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त आशयपत्र धारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा। 11-शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक से पट्टाविलेख हेतु स्टाम्प का आगणन कराने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर एक माह के अन्तर्गत पट्टाधारक विलेख का निष्पादित कराया जायेगा। 12 पट्टाविलेख निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालय में पट्टाविलेख का पंजीकरण कराये जाने के उपरान्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी०टी०ओ० प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई-रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा। 13 पट्टाधारक के आवेदन पर जिला खान अधिकारी द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल जारी किया जायेगा। तदोपरान्त पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ कर उपखनिज का विक्रय प्रारम्भ करेगा।
2.	निगमों को पट्टे का आवंटन	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	गढ़वाल परिक्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०, कुमाऊँ परिक्षेत्र में	1. सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-1 पर आवेदन शुल्क रु० 1,00,000.00 निर्धारित है, को विभागीय लेखाशीर्षक 08630-01-02-01-00 में जमा करते हुए आवेदन किया जायेगा। क-खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति। ख-जी०एस०टी० की प्रति। 2- जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आवेदित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा 3-स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र निर्गत किये जाने हेतु आख्या निदेशालय को संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी।

			कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० तथा वन क्षेत्र में वन विकास निगम लि०	4 जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर सीमाबन्धन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक वांछित अनुमतियों हेतु महानिदेशक द्वारा आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। 5- आशयपत्र में वांछित अनुमतियों को प्राप्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे का शासनादेश निर्गत किया जायेगा। 6-शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० निष्पादित कराया जायेगा। 7-एम०ओ०यू० निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी०टी०ओ० प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई-स्वन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।
3.	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के उद्योग हेतु।	भारत का नागरिक होना।	1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु० 10,000/- सहित जिला स्तरीय भूतत्त्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून न हो, जिला खान अधिकारी व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी। 4. जिलाधिकारी गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा। 5. महानिदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगा। 6. जिलाधिकारी व महानिदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4.	मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट उद्योग हेतु।	1. भारत का नागरिक होना। 2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायीं	1. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु० 2.00 लाख सहित सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगी। 4. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट (On Site) की स्थापना तथा प्लांट परिसर में कच्चे/तैयार माल के

			संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदार।	भण्डारण की स्वीकृति अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
5.	हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट	हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट उद्योग हेतु।	भारत का नागरिक होना।	1. हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लांट के पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क रु0 1.00 लाख सहित संबंधित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। 2. गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। 3. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में पक्के माल भण्डारण की स्वीकृति 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की तिथि, जो भी न्यून हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
6.	रिटेल भण्डारण	—	भारत का नागरिक होना।	1. रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु0 25,000/— जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति यथा जिला खान अधिकारी व तहसीलदार आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा। 4. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
7.	रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	—	—	1. ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा निक्षेपित /जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/ आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। 2. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञापित जारी की जायेगी। 3. सफल बोलीदाता को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/ सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

आभार

कतिपय देखा गया है राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा मुख्यतः योजनाओं का लाभ उल्लेख किया जाता है, परन्तु जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे अधिकांश पात्र लाभार्थी समुचित जानकारी के अभाव में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिये गत वर्ष, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों की मुख्य योजनाओं/सेवाओं का संकलन करके एवं लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया। पुस्तक को राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों/विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया गया तथा पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी राज्य के समस्त विभागों के वेबसाइटों में उपलब्ध करायी गयी है।

“मेरी योजना” पुस्तक के प्रथम संस्करण की सफलता के उपरान्त तथा इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को देखकर मा० राज्यपाल महोदय एवं मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/आयोगों इत्यादि द्वारा भी संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में “मेरी योजना” पुस्तक का द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है। साथ ही प्रथम पुस्तक की अभूतपूर्व सफलता तथा सूचना का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग के मा० आयुक्तों द्वारा पुस्तक को अति जनोपयोगी देखते प्रशंसा की गयी, जोकि द्वितीय संस्करण के प्रकाशन हेतु उत्प्रेरक के रूप में साबित हुई।

इस पुस्तक को मूर्त रूप देना मा० राज्यपाल महोदय एवं मा० मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों, मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव महोदय के अपार सहयोग के बिना असम्भव था। साथ ही पुस्तक तैयार करने में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम यथा—श्री एन.एस. डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री पूरनगिरि, उप सचिव, श्री जे०पी० मैखुरी, अनु सचिव, श्री नन्दराम, अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल, अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, समीक्षा अधिकारी, श्रीमती रंजना, समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी, कम्प्यूटर सहायक, श्री मुकेश चन्द्र देवरानी कनिष्ठ सहायक, श्री अमित वर्मा, होमगार्ड तथा विशेष कार्याधिकारीगण—श्रीमती वंदना पाटनी, श्री आर०के० चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ० शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल, साथ ही मेरे निजी स्टाफ में तैनात श्री जितेन्द्र पाण्डेय, निजी सचिव, श्री उमेश कुमार अपर निजी सचिव के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना पुस्तक पूर्ण होना असम्भव था।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगणों, जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे राज्य के यशस्वी मा० मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया के रूप में श्रीमती राधा रतूडी, मुख्य सचिव महोदय का “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।


(दीपक कुमार)
सचिव

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल

विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई.मेल	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई.मेल
1. समाज कल्याण विभाग कार्यालय—निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल दूरभाष न0—05946—297051, फ़ैक्स न0—05946—297050 ईमेल—directorsocialwelfare@gmail.com अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय—धर्मपुर डाण्डा, लेन नं0 भवन नं0—24 अम्बीवाला गुरुद्वारा, देहरादून। दूरभाष फ़ैक्स—0135—3510631 मा0 अध्यक्ष—8958591111 सचिव—9411717352 ईमेल—scstcommission2001@gmail.com, kavitatamta@gmail.com	2. जनजाति कल्याण विभाग, कार्यालय—निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड , शहीद भगत सिंह कॉलोनी डालनवाला, देहरादून। दूरभाष न0—0135—2975304, 9927699532, 9758253322 ईमेल—janjatikalyan@yahoo.co.uk.com, janjatikalyanuk@gmail.co अनुसूचित जनजाति आयोग, कार्यालय—उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून। दूरभाष न0—0135—2975374, ईमेल— uk.stcommission@gmail.com
3. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम कार्यालय—शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला (निदेशालय, जनजाति कल्याण परिसर), देहरादून दूरभाष — 0135—2675226 ईमेल—vikasnigam12@gmail.com	4. सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय— निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड , 15—सी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून। दूरभाष न.—0135—2744208, ईमेल—dir-soldierwel-uk@nic.in उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि., कार्यालय—अंडमान रोड गढ़ी कैट देहरादून दूरभाष—0135—2750913, 2750140 ईमेल—agreement@upnl.co.in, info@upnl.co.in
5. महिला कल्याण विभाग कार्यालय— निकट नन्दा की चौकी सुद्धोवाला प्रेमनगर देहरादून दूरभाष न0—0135—2974534, ईमेल— ukchief@gmail.com राज्य महिला आयोग आयोग कार्यालय का पता:—उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट—नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून। फोन/व्हाट्स—एप नं0:— 8126774374 (कार्य दिवस में सम्पर्क हेतु प्रातः—10.00 से सांय—05.00 बजे तक उपलब्ध) ई—मेल:— women.commission.uk@gmail.com वेबसाइट:—https://ukscw.org.in	6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय—उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष न0—01352788723 ईमेल—alpsankhyak1@gmail.com उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय—अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून दूरभाष—0135—2781201 ईमेल— info@ukmc.in उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून कार्यालय—अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास,

			अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष-0135-2975456 ईमेल-ukmadarsaboard@gmail.com उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड कार्यालय-अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून दूरभाष-ईमेल-ceouk@wakf.gov.in
7.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड कार्यालय-जी.एम.वी. 74 / 1, राजपुर रोड देहरादून दूरभाष- डी.एल.सी-9997217000 ईमेल- ukbocw@gmail.com	8.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय-आयुक्त, खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड सरकार, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2780778 ईमेल- foodcommfcs@gmail.com विधिक माप विज्ञान विभाग कार्यालय- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड 8-ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, करनपुर देहरादून। दूरभाष-0135-2741926 ईमेल-legalmetuk@gamil.com उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय- उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, 73 ए, लवली मार्केट, पंडितवारी, फेज-02 देहरादून। दूरभाष-0135-2669420 ईमेल- uafoodcommission@gmail.com राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग कार्यालय-राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड, 23 / 16, सर्कुलर रोड, डालनवाला देहरादून। दूरभाष-0135-3510041 ईमेल- sdcrc-uk@nic.in oscikbV&https://sdcrc.uk.gov.in
9.	गृह विभाग साइबर क्राइम- पुलिस हेडक्वार्टर, 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष न0-0135-2655900, 05944-297762 ईमेल-ccps.deh@uttarakhandpolice.uk.gov.in हेल्प लाइन न0-1930 उत्तराखण्ड अग्नि शमन एवं आपात सेवा कार्यालय-पुलिस हेडक्वार्टर, 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष-9412070164 ईमेल- ddtfireukd@gmail.com, fshq.ukfs@gmail.com	10.	भाषा विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461 / 1 / 1 चन्द्रलाक कालोनी, निकट जी.एम.वी.एन. राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष-07830005969 ईमेल- directorbhashauk@gmail.com

“मेरी योजना” पुस्तक द्वितीय संस्करण (राज्य सरकार)

	टोल फ्री न०-112 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, कार्यालय-28 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक निकट दीप लॉज, देहरादून। दूरभाष-0135-2520317, 3558209 ईमेल-spcattarakhand@gmail.com, slsa-uk@nic.in, uklsanainital@gmail.com जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड 8-ए बंगाली मौहला लाईब्रेरी रोड करनपुर, देहरादून। दूरभाष-0135-2740248, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड जिला कारागार परिसर सुद्धोवाला, देहरादून। ईमेल-igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in,		
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा) – राज्य परियोजना, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न०-0135-2781941, 2781992 हेल्प न०.1800-180-4132 ईमेल-a spd-ssa-uk@nic.in	12.	संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार,–संस्कृत भवनम्, रानीपुझालं, ज्वालापुर, हरिद्वारम् दूरभाष-9837149064 ईमेल-uksa2002@gmail.com उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार – बहादुराबाद, हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पो.बहादुराबाद हरिद्वार। दूरभाष न०-0135-2665054 ईमेल-registrar@usw.ac.in, ssnuk2011@gmail.com
13.	तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय- तकनीकी शिक्षा निदेशालय एनसीसी ब्लॉक परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर (गढ़वाल) पौड़ी गढ़वाल। दूरभाष न०- 01346-250169, ईमेल- ukdtecss-dte-uk@nic.in jjs.ubte15@gmail.com उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)–सुनेहरा रोड (निकट-के एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी ईमेल-js.ubte15@gmail.com वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय – चकराता रोड, पो.ओ. चंदनवाड़ी, सुद्धोवाला देहरादून। दूरभाष-0135-2774067 ईमेल- helputuums@uktech.ac.in	14.	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन 26 ईसी रोड महिला आई.टी.आई. सर्वे चौक देहरादून दूरभाष न०-01352653665 ईमेल-info.uksdm@gmail.com
15.	खेल विभाग – खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न०- 0135-2781414 सहायक निदेशक-9412980824 ईमेल-directorspts1@gmail.com	16.	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क) – 21/4 ई.सी.रोड, देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष न०-9412921524, ईमेल.u.serc@rediffmail.com
		17.	विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट) – महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, विज्ञान सदन ब्लॉक, देहरादून दूरभाष: 2976266 ईमेल: ucost@ucost.in amit.ucost@gmail.co

18.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग कार्यालय- बायोटेक भवन, हल्दी, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं०-05944-230567 ईमेल-statebiotech@rediffmail.com, directorucb@gmail.com	19.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड। डाडा लखौण्ड पो. गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608763 ईमेल-sec-uttarakhand@uk.gov.in, mdnhmuk@gmail.com nhmukiec@gmail.com उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन, पो.ओ. गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष-0135-2608885, अपर परियोजना निदेशक-8077932051 ईमेल-uksacs1@gmail.com, apdusacs@gmail.com राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, आ.टी. पार्क, सहस्त्रधारा, देहरादून।
20.	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय-गली नं०-03 मकान न-23 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड, देहरादून दूरभाष-सचिव/परीक्षा नियंत्रक-8006136888 वित्त नियंत्रक-9219736164। ईमेल-ukmssbdun@gmail.com, ukmssbexam@gmail.com	21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग – आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, डाडा लखौण्ड, पो. गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, आई.टी. पार्क, देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608742 ईमेल- ukdirayurved@gmail.com उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय –उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड हर्वावाला देहरादून। दूरभाष-0135-2685993, ईमेल-uttarakhandayurved@gmail.com
22.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग – उद्योग निदेशालय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून, दूरभाष नं०-0135-272 8272, ईमेल- mpr@doiuk.org स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (सिडकुल) –29-आई.आई.ई., आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून दूरभाष-0135-2607292, 2708100 ईमेल- pro.shivangisingh@gmail.com gm@siidcul.com	23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, थानो रोड, भोपालपानी, देहरादून उत्तराखण्ड ईमेल- hq.ukvib@gmail.com
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग कार्यालय-निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड एम.डी.डी.ए. कालोनी डालनवाला चन्दर रोड देहरादून दूरभाष नं०-01352712595, ईमेल- directorculture@gmail.com राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा कार्यालय-पं० गोविन्द बल्लभ पंत, राजकीय संग्रहालय सेंट्रल लॉज, माल रोड,	25.	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय-पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन निकट ओएनजीसी हेलीपैड नींबूवाला गढ़ी कैट देहरादून। दूरभाष-0135-2559898 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-9811981221, ईमेल- traveltradeutdb@gmail.com, planningutdb@gmail.com

	अल्मोड़ा उत्तराखण्ड। दूरभाष-9410344122 ईमेल-museum.almora@gmail.com राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़-राजकीय संग्रहालय, पो.ऑ. -बिण, नैनीसैनी हवाई पट्टी रोड, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड। दूरभाष-9410344122 ईमेल-govtmuseumpit@gmail.com श्री बट्टीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति - साकेत लेन न0 6 कैनाल रोड देहरादून दूरभाष-सीईओ-7906243155 सीएफओ-9456873743 ओएसडी-9411530765 ईमेल-ceo.bktoddn@gmail.com, support-ucdb@uk.gov.in	गढ़वाल मण्डल विकास निगम कार्यालय- गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, राजपुर रोड देहरादून दूरभाष-0135-6913000, 2746817, 2749308 2431793, ईमेल-yatraofficegmvn@gmail.com, gmvnreservationhq@gmail.com कुमाऊँ मण्डल विकास निगम - कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, ओक पार्क हाउस नैनीताल, दूरभाष-05942- 236936, 235656, 8650002520, 9520864206 ईमेल-crckmvn@gmail.com राजकीय होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून कार्यालय-191 सहारनपुर रोड पटेलनगर देहरादून, दूरभाष-0135-2728662 ईमेल-doongihm@gmail.com जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा दूरभाष-05962-298280, 254246 ईमेल-gihmalmora@gmail.com
26.	ऊर्जा विभाग (उरेडा) कार्यालय-ऊर्जा पार्क परिषद् इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2521387, 2521553 ईमेल-adm.uredahq@gmail.com st.uredahq@gmail.com यू.पी.सी.एल. कार्यालय-ऊर्जा भवन कांवली रोड बल्लीवाला चौक, देहरादून। ईमेल-rapdrparta@upcl.org उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय-विद्युत नियामक भवन, निकट आई.एस.बी.टी., पो.औ.-माजरा, देहरादून, दूरभाष-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314 ईमेल-secy.uerc@gov.in osclkbZV&www.uerc.gov.in	27. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग कार्यालय-महानिदेशक, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। दूरभाष न0-0135-2662971 ईमेल-infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in, ufdc2015@gmail.com
28.	ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय-आयुक्त, ग्राम्य विकास (ग्रामीण विकास विभाग), पौड़ी उत्तराखण्ड। दूरभाष न.- संयुक्त विकास आयुक्त-9411149140 ईमेल-dcprogramme303@gmail.com ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कार्यालय-कृषि भवन, श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल। फोन न0- 01368-222474 ईमेल-palayanniwaranayog@gmail.com	29. कृषि विभाग कार्यालय-कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, कृषि भवन, नंदा-की-चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, दूरभाष न0-0135-2972421 ईमेल-dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय-द्वितीय तल, किसान भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, नेहरू ग्राम, देहरादून दूरभाष-0135-2662770 उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कार्यालय-मण्डी भवन रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर, दूरभाष- 05944-250055

		ईमेल—uamandi@rediffmail.com गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर कार्यालय— गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला—उधमसिंहनगर। दूरभाष—रजिस्ट्रार—05944—233640, 9528023394 ईमेल— registrar@gbpuat.ac.in कॉम्प्यूटर—05944—233473, 9997441646 ईमेल— gbpuatcompt@gmail.com
30.	उद्यान विभाग कार्यालय—उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा। दूरभाष न0—0135.2759799 ईमेल— missionhortiuk@gmail.com वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल — भरसार, पौड़ी गढ़वाल दूरभाष—रजिस्ट्रार—01348—226070, ईमेल— registraruhf@gmail.com	31. पशुपालन विभाग — पशुपालन निदेशालय, प्रशासनिक भवन, मोथरोवाला, देहरादून। दूरभाष न0—0135—2532809, 9837153140 ईमेल—dirahuk@gmail.com उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड — पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून, दूरभाष—0135—2532619, 9412055957 ईमेल—ceo.uldb2019@gmail.com उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग कार्यालय—पशुधन भवन, शीर्षतल, मोथरोवाला देहरादून, दूरभाष—0135—2532898 ईमेल—9412921171 ईमेल—uttarakhandgausewaayog@gmail.com
32.	डेयरी विभाग कार्यालय—निदेशक, डेरी विकास, मंगल पारो, हल्द्वानी, नैनीताल दूरभाष न0—05946—252052, ईमेल—ukcdpdairy@gmail.com	33. मत्स्य विभाग कार्यालय—निदेशक मत्स्य पालन, मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (घनयासी) देहरादून दूरभाष—096990216771, 7251037221 ईमेल—info.fisheriesuk@gmail.com
34.	वन विभाग कार्यालय—मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष न0—0135—2741607 ईमेल—ccpfmua@gmail.com pccfuk@gmail.com niyojanbasic2017@gmail.com उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय—गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष—0135—2607092 ईमेल—msukpcb@yahoo.com	35. आवास विभाग — उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण आवास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार राजीव गांधी बहुउद्देशीय परिसर, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष न0—0135—2719500, ईमेल—uhudauk@gmail.com उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण — 5 फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष—0135—2710348 ईमेल— ukrera2017@gmail.com osclkbv&www.ukrera.org.in हरिद्वार—रूढ़की विकास प्राधिकरण — नियर तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार, दूरभाष—01334—220800 ईमेल—info@onlinehrda.com
36.	शहरी विकास विभाग — राज्य सफाई कर्मचारी आयोग—प्रीत विहार, फेज-2 इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर देहरादून। दूरभाष—0135—2971364, ईमेल— safaiyogukshasan123@gmail.com नगर निगम, देहरादून— नगर निगम, देहरादून, दूरभाष—0135—2714074, फैक्स—0135—2651060, ईमेल—nagarnigam.ddn@gmail.com	37. पेयजल विभाग कार्यालय—मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून। दूरभाष न0—0135—2676260, 2671658 ईमेल—pmu_uttranchal@rediffmail.com, upsvnn@gmail.com

“मेरी योजना” पुस्तक द्वितीय संस्करण (राज्य सरकार)

38.	राजस्व विभाग कार्यालय-राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर देहरादून, दूरभाष नं. 0135-2669415, ईमेल-crc.ddn99@gmail.com	39.	परिवहन विभाग कार्यालय- परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नं. 0135-2608203, 2608107, ईमेल: transportdeptuk@gmail.com
40.	सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी, कार्यालय- आई.टी. भवन, प्लॉट न0-आई.टी. 07 आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608330, ईमेल: diritda-uk@nic.in	41.	लघु सिंचाई विभाग कार्यालय - मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लघु सिंचाई भवन, लेन न0-3 इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, रिंग रोड, नन्थनपुर देहरादून दूरभाष- 0135-2672006, 9412911156, 9411197357, 9798121530 ई-मेल: oemiduk@gamil.com, staffo-mirri-uk@gov.in
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तराखण्ड - महानिरीक्षक निबंधन, मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला नन्थनपुर, देहरादून, पुलिस न0-06 के समीप, दूरभाष-0135-2979384 सहायक महानिरीक्षक निबंधन-9759447777 उप निबंधक-9450589553, ईमेल-hod-sro-uk@uk.nic.in, aighq-sro-uk@nic.in, stampregndptuk@yahoo.co.in रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स - एकीकृत भवन, आर.बी.आई. के सामने, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून, दूरभाष: 05946-254301, 9410789439 ईमेल: drfscddn@gmail.com	43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कार्यालय-आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, गन्ना भवन, बाजपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर दूरभाष-आयुक्त-8218561740, अपर आयुक्त-9412923103, संयुक्त-9720414618 ईमेल: commissionercanesugar@gmail.com,jccuk@rediffmail.com
44.	आबकारी विभाग कार्यालय- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून दूरभाष: 0135-2656930, 9412102608, ईमेल: utkexcise@gmail.com	45.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग कार्यालय- निदेशालय, उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी (बडासी) थानों रोड-रायपुर देहरादून, दूरभाष: 8192895146, ईमेल: dir.ukdgm@gmail.com

PROGRA

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाईन
155368	आयुष्मान हेल्पलाईन
1364	पर्यटन हेल्पलाईन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाईन
181	महिला हेल्पलाईन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाईन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग
108	चिकित्सा सेवा

Uttarakhand Fire and Emergency Services

Social Media Links https://ukfireservices.com/uttarakhand_fire/

Facebook

<https://facebook.com/uttarakhandfireservice>

Instagram

<https://instagram.com/UttarakhandFireService>

WhatsApp

<https://whatsapp.com/channel/0029Va4ek2DATRSvzxNWNt2b>

Website

<https://ukfireservices.com>

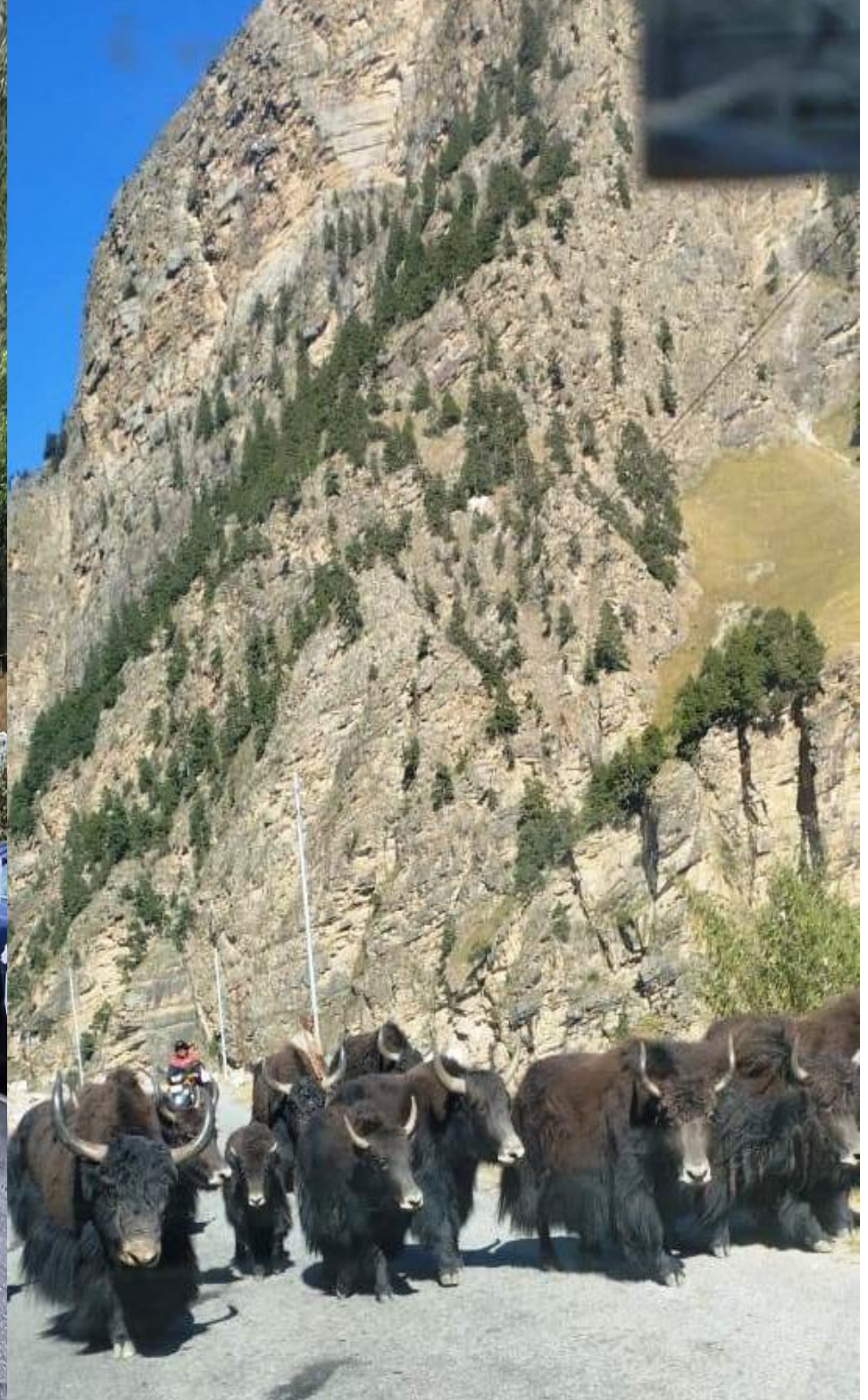




Auli, Chamoli



Bagwa Mela, Champawat





मेरी योजना



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग